

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 269 OF 2025**

IN THE MATTER OF:

Association of Fly Ash Products Manufacturers (AFAPM)

...APPLICANT

VS.

Union Of India & Ors.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S.NO.	PARTICULAR	PAGES
1.	REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, i.e. RESPONDENT NO. 1	1 - 8
2.	ANNEXURE – I True copy of Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification dated 1 st January, 2024	9 - 39
3.	ANNEXURE – II True copy of Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification dated 22 nd April, 2021	40 – 54
4.	ANNEXURE – III True copy of Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification dated 23 rd January, 2026	55 – 66
5.	ANNEXURE – IV True copy of the letter of suggestions/ objections in respect to the said draft amendments S.O. 963 (E), dated 23/01/2026	67 - 68

**RESPONDENT NO. 1
(MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE
CHANGE)**

Jai Bansal

THROUGH COUNSEL
JAI BANSAL
HOUSE NO.13, L.G.F, POCKET 52,
CR PARK, NEW DELHI-110019
EMAIL ID: bansal.jai@gmail.com
CONTACT NO.: 9868566649

**DATE: 17.04.2026
PLACE: NEW DELHI**

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 269 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Association of Fly Ash Products Manufacturers (AFAPM)

....APPLICANT

VS.

Union of India & Ors.

...RESPONDENT(s)

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FOREST AND CLIMATE CHANGE i.e. RESPONDENT No. 1

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, N.Subrahmanyam of aged about 39 years, S/o , working as Scientist 'E' at Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change having office at Jor Bagh, New Delhi- 110003, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am the above-named deponent, duly authorized and well conversant with the facts and circumstances of the present case, and as such, competent to swear to the present Affidavit.

N. Subrahmanyam

(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'E'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min.of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi



(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'E'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min.of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

2. That I have read and understood the contents of this Affidavit. The statements made herein are true and correct to my knowledge and belief, and nothing material has been concealed therefrom.

3. That the deponent craves liberty to raise further contentions as may be required during the course of the proceedings.

4. At the outset, it is respectfully submitted that the Original Application is misconceived, not maintainable in law, and liable to be dismissed, in limine, as the applicant by way of this application has sought extensive amendments, substitutions, and deletions in a statutory notification issued under the Environment (Protection) Act, 1986, which squarely falls within the domain of the Government.

5. It is humbly submitted that the application has been filed giving a presumption that the Ash Utilisation Notification dated 31.12.2021 and its subsequent amendments thereof are ineffective or diluted, whereas in fact it represents a comprehensive regulatory framework aimed at achieving 100% utilisation of ash in an eco-friendly purpose to ensure environmentally sound management of ash. The copy of Ash Utilisation Notification, 2021 with subsequent amendments is annexed as Annexure-I.

N. Subrahmanyam

(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई' / Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi



(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई' / Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

6. It is humbly submitted that, the Ash Utilisation Notification S.O. 5481(E) dated 31.12.2021 has been issued in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, and in supersession of the Notification S.O.763 (E), dated the 14th September,1999, and its subsequent amendments, while preserving their core environmental objectives.

7. It is humbly submitted that, the notification dated 31.12.2021 has been framed after extensive stakeholder consultations, inter-ministerial deliberations, including Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board; Ministry of Power and State Power Utilities, Associations of ash based products. That draft notification was published on 22.04.2021 and kept in the public domain to the period of 60 days for public consultation. That all the objections and suggestions received from all persons likely to be affected on the draft notification have been duly considered by the Ministry before issuing the notification dated 31.12.2021. The copy of the draft Rules dated 22.04.2021 is placed at **Annexure-II**.

8. It is humbly submitted that, the notification dated 31.12.2021 has been further amended vide S.O.05(E) dated 01.01.2024, on requests received from the Ministry

N. Subrahmanyam
(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min.of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi



(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min.of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

of Power and other stakeholders regarding implementation of the provisions outlined in the notification. That it was expedient to amend certain provisions of the said notification to promote use of ash for eco-friendly purposes, including use of ash in ash based products manufactured by micro and small enterprises engaged in ash based product manufacturing.

9. It is humbly submitted that heading in Para A of the Notification dated 2021 does not suffers from any legal infirmity. The heading of a clause is merely descriptive and does not restrict the substantive provisions. Further, no prejudice has been caused to the Applicant or any stakeholder by the terminology used, and the prayer is purely unnecessary.

10. The averment that Para A(2)(i) must mandate priority utilisation exclusively for bricks, blocks and tiles is denied. The Notification provides eleven eco-friendly purposes. Imposing a rigid hierarchy of utilisation would defeat the object of achieving 100% utilisation of ash and may lead to accumulation towards one sector.

11. That a Committee under the chairmanship of Chairman, CPCB has been constituted as per Para A(3) of the Ash Utilisation Notification 2021, to examine,

N. Subrahmanyam
 (एन. सुब्रह्मण्यम)
 (N. SUBRAHMANYAM)
 वैज्ञानिक 'E'/Scientist 'E'
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 Min. of Environment, Forest and Climate Change
 भारत सरकार, नई दिल्ली
 Govt. of India, New Delhi



(N. SUBRAHMANYAM)
 (N. SUBRAHMANYAM)
 वैज्ञानिक 'E'/Scientist 'E'
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 Min. of Environment, Forest and Climate Change
 भारत सरकार, नई दिल्ली
 Govt. of India, New Delhi

review and recommend eco-friendly ways of utilisation of ash and make inclusion or exclusion or modification in the list of eco-friendly purposes.


12. It is humbly submitted that, the proviso linking ash-based products with CPWD/PWD Schedule of Rates has been introduced to maintain parity of prices among various products and promote acceptance of ash-based materials.

13. That the prayers seeking compulsory use of fly ash products in private and individual residential construction within a specified radius of Thermal Power Plants through central notification is legally untenable. Building permissions, municipal bye-laws and enforcement fall within the constitutional domain of State Governments and local authorities. The Notification already provides an enabling framework for local authorities to make provisions in their respective building bye-laws and other relevant regulations for the use of ash and ash based products under Para B(10) of the Ash Utilisation Notification, 2021.

14. It is pertinent to submit, that one of the prayers made by the Applicant pertains to the alleged delegation of powers by the MoEF&CC to the Ministry of Power for issuance of guidelines relating to the allocation or sale of fly ash, which is stated to be contrary to the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986. A similar prayer has also been raised in O.A. No. 661 of 2024, *Tamil Nadu*

N. Subrahmanyam

(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi



(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

Fly Ash Bricks Manufacturers Association vs. Union of India & Ors., seeking a restraint on Respondent No. 1(MoEF&CC) from permitting Respondent No. 4 (Ministry of Power) to make policy decisions on fly ash utilization as allowed vide amendment dated 01.01.2024. That the OA 661 of 2024 is listed for hearing on 30.07.2026 before this Hon'ble Tribunal.

15. That the amendment dated 01.01.2024, inter-alia, safeguards Micro and Small Enterprises involved in ash based product manufacturing by mandating thermal power plants to reserve certain percentage of ash for supply to all micro and small enterprises for sale at concessional price or through limited auction. Further, the notification enabled Ministry of Power to prescribe guidelines in this regard as all matters related to Thermal Power plants are dealt by Ministry of Power in the Government of India.

16. That the Environmental Compensation mechanism prescribed under Para C has been placed as a deterrent for non-compliance. The Applicant's proposal to substitute area-based compensation with tonnage-based compensation is untenable as building and construction projects are measured based on the built-up area. Further, it involves technical and policy considerations.

N. Subrahmanyam

(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'E'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Delhi



(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'E'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Delhi

17. That with regard to mandating the use of ash based bricks or products, the Notification already provides obligations and enforcement responsibilities to all building construction projects located within 300 km radius of thermal power plants to use ash based bricks, tiles, sintered ash aggregate or other ash based products.

18. It is respectfully submitted that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change had published the draft amendments to the Ash Utilisation Notification, 2021 vide Notification No. S.O. 369(E) dated 23.01.2026 in the Official Gazette for inviting objections/suggestions from stakeholders within a period of sixty days from the date of publication. In response thereto, the Applicant Association of Fly Ash Products Manufacturers (AFAPM) submitted a representation/suggestions, before the Ministry for incorporation in the finale gazette. That the representations in respect of the amendment notification is presently under consideration by the Ministry. The copy of the draft notification dated 23.01.2026 and representation of the applicant AFAPM is annexed and marked as **Annexure-III** and **Annexure-IV**.

19. That in view of the above, it is most humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may dismiss the present application and pass such order(s) as may be

N. Subrahmanyam

(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई'/Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi



deemed fit and proper in the facts and circumstances of the case.

N. Subrahmanyam
(एन. सुब्रह्मण्यम)
DEPONENT
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई' / Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

VERIFICATION:

17 APR 2026

Verified at _____ on this day of _____ April, 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and as per official records maintained in the routine course of business. No part of the above affidavit is false and nothing material has been concealed there from.

N. Subrahmanyam
DEPONENT

(एन. सुब्रह्मण्यम)
(N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई' / Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

228

I Identified the deponent/ executant who has signed in my presence



Solemnly affirmed before me, read over & explained to the deponent

[Signature]
Notary Public. **BESE**

17 APR 2026



(एन. सुब्रह्मण्यम) (N. SUBRAHMANYAM)
वैज्ञानिक 'ई' / Scientist 'E'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Min. of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012022-232336
CG-DL-E-01012022-232336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5075]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 2021/पौष 10, 1943

No. 5075]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 2021/PAUSHA 10, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5481(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 763 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 1999 द्वारा कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से तीन सौ किलोमीटर के विनिर्दिष्ट व्यास के भीतर ईंटों के विनिर्माण के लिए उपजाऊ मिट्टी के उत्खनन को प्रतिबंधित करने के लिए और भवन निर्माण सामग्री के विनिर्माण में और संनिर्माण क्रियाकलाप में फ्लाई-राख के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निदेश जारी किए हैं;

और, प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत (पीपीपी) के आधार पर, ऐसा करके कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई-राख का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करते हुए और फ्लाई-राख प्रबंधन प्रणाली की संधारणीयता के लिए पूर्वोक्त अधिसूचना को और अधिक प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु, केन्द्रीय सरकार ने मौजूदा अधिसूचना की समीक्षा की;

और प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय प्रतिकर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है;

और, विनिर्माण को बढ़ावा देकर तथा निर्माण कार्य के क्षेत्र में राख आधारित उत्पादों तथा भवन निर्माण सामग्रियों के प्रयोग को अनिवार्य करके उपजाऊ मिट्टी को संरक्षित करने की आवश्यकता है;

और, सड़क बनाने, सड़क एवं फ्लाई ओवर के रेलिंग बनाने, तटरेखा की सुरक्षा का उपाय करने, अनुमोदित परियोजनाओं के निचले क्षेत्रों को भरने, खनित स्थलों को फिर से भरने में मिट्टी की सामग्रियों से भरने के विकल्प के रूप में राख उपयोग को बढ़ावा देकर उपजाऊ मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता है;

और, पर्यावरण को सुरक्षित करना तथा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से सृजित फ्लाई राख के निक्षेपण तथा निपटान की रोकथाम करना आवश्यक है;

और, उक्त अधिसूचना में जो 'राख' शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से सृजित फ्लाई-राख और बॉटम-राख दोनों शामिल हैं;

और, केंद्रीय सरकार प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत के आधार पर, पर्यावरणीय प्रतिकर की प्रणाली सहित राख के उपयोग के लिए एक व्यापक ढांचा लाना चाहती है;

अतः पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना जो का.आ. 763 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 1999 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित का अधिक्रमण करते हुए, कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख के उपयोग के संबंध में प्रारूप अधिसूचना जो सा.का.नि. 285 (अ) तारीख 22 अप्रैल, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, धारा 3, उप धारा (i) में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना सामान्य है उस तारीख से, जिसको उक्त प्रारूप उपबंधों की शासकीय राजपत्र में अंतर्विष्ट प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिनों के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में उससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना का.आ. 763 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 1999 का उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार कोयलों या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से राख के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित अधिसूचना जारी करती है, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी, अर्थात्

क. फ्लाई-राख और बॉटम-राख का निपटान करने हेतु ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के उत्तरदायित्व.-

(1) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र (जिनमें कैप्टिव और/या सह-उत्पादन केंद्र शामिल हैं या दोनों) की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह अपने द्वारा सृजित राख (फ्लाई-राख और बॉटम-राख) का उप पैरा (2) में दिए गए पारि-अनुकूल तरीके से 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करे;

(2) कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से सृजित राख का उपयोग केवल निम्नलिखित पारि-अनुकूल प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) फ्लाई राख पर आधारित उत्पाद अर्थात्: ईट ब्लॉक टाइल, फाइबर सीमेंट शीट, पाइप, बोर्ड, पैनल का विनिर्माण;
- (ii) सीमेंट विनिर्माण, रेडी-मिक्स कंक्रीट;

- (iii) सड़क निर्माण और फ्लाई-ओवर के रेलिंग का निर्माण, राख और जिओ-पॉलीमर आधारित निर्माण सामग्री;
- (iv) बांध का निर्माण;
- (v) निचले क्षेत्र को भरना;
- (vi) खनन कार्य से रिक्त हुए स्थान को भरना;
- (vii) सिंटेड या शीत-बद्ध राख संचय का विनिर्माण;
- (viii) मृदा परीक्षण के आधार पर नियंत्रित तरीके से कृषि;
- (ix) तटीय जिलों में तटरेखा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण;
- (x) अन्य देशों को राख का निर्यात;
- (xi) समय-समय पर यथाधिसूचित किसी अन्य पारि-अनुकूल प्रयोजन के लिए।
- (3) अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), विद्युत मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, सड़क कांग्रेस संस्थान तथा राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसका प्रयोजन राख के उपयोग के पारि-अनुकूल तौर-तरीकों की जांच करना, उनकी समीक्षा एवं अनुशंसा करना तथा प्रौद्योगिकीय विकासों तथा पणधारी से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर उप-पैरा (2) में यथोल्लिखित ऐसे तौर-तरीकों की सूची में समिति द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों को शामिल करना या किसी तौर-तरीके को सूची से हटाना या उसमें संशोधन करना है। जब भी इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, यह समिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, ताप विद्युत संयंत्र और खानों के प्रचालकों को आमंत्रित कर सकती है। इस समिति सिफारिश के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऐसे पारि-अनुकूल प्रयोजन प्रकाशित करेगा।
- (4) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र उस वर्ष के दौरान सृजित राख (फ्लाई-राख और बॉटम-राख) का 100 प्रतिशत उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होगा; तथापि, किसी भी स्थिति में, किसी वर्ष में राख का उपयोग 80 प्रतिशत से नीचे नहीं होगा और साथ ही, उस ताप विद्युत संयंत्र को तीन वर्ष की अवधि में 100 प्रतिशत औसत राख के उपयोग का लक्ष्य प्राप्त करना होगा :

परंतु, यह और कि पहली बार के लिए लागू तीन वर्ष के चक्र को ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों, जहां राख का उपयोग 60-80 प्रतिशत के बीच होता है, एक वर्ष के लिए और ऐसे संयंत्रों, जहां राख का उपयोग 60 प्रतिशत से कम है, दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और राख के उपयोग की प्रतिशतता की गणना के प्रयोजन के लिए वर्ष 2021-2022 में उपयोग की प्रतिशत प्रमात्रा को नीचे दी गई तालिका के अनुसार ध्यान में रखा जाएगा:

तापीय विद्युत संयंत्रों के उपयोग की प्रतिशतता	100 प्रतिशत उपयोगिता प्राप्त करने के लिए प्रथम अनुपालन चक्र	100 प्रतिशत उपयोगिता प्राप्त करने के लिए द्वितीय अनुपालन चक्र
>80 प्रतिशत	3 वर्ष	3 वर्ष
60-80 प्रतिशत	4 वर्ष	3 वर्ष
<60 प्रतिशत	5 वर्ष	3 वर्ष

परन्तु, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए 80 प्रतिशत न्यूनतम उपयोग प्रतिशतता, क्रमशः 60-80 प्रतिशत और <60 प्रतिशत की उपयोगिता की श्रेणी के तहत आने वाले ताप विद्युत संयंत्रों के लिए प्रथम अनुपालन चक्र के पहले वर्ष और पहले दो वर्षों पर लागू नहीं होगी।

परन्तु, अनुपालन चक्र के अंतिम वर्ष में सृजित 20 प्रतिशत राख को अगले चक्र में भी ले जाया जाएगा जिसका उपयोग उस अनुपालन चक्र के दौरान सृजित राख के साथ अगले तीन वर्षों में किया जाएगा।

- (5) अप्रयुक्त संचित राख अर्थात् लीगेसी राख, जिसका इस अधिसूचना के प्रकाशन से पहले भंडारण किया गया है, को ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) द्वारा इस रीति से क्रमिक रूप से उपयोग में लाया जाएगा, कि लीगेसी राख को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दस वर्षों के भीतर पूरी तरह उपयोग कर लिया जाएगा और यह उस विशिष्ट वर्ष के चालू संचालनों के माध्यम से राख उत्सर्जन के लिए निर्धारित उपयोग लक्ष्यों से अतिरिक्त होगा।

परन्तु, निम्नलिखित प्रतिशतताओं में यथा उल्लिखित लीगेसी राख की न्यूनतम मात्रा का उपयोग तास्थानी वर्ष के दौरान कर लिया जाएगा और लीगेसी राख की न्यूनतम मात्रा की ताप विद्युत संयंत्र की संस्थापित क्षमता के अनुसार वार्षिक राख उत्सर्जन के आधार पर की जानी है।

प्रकाशन की तिथि से वर्ष	पहला	दूसरा	तीसरा-दसवां
लीगेसी राख का उपयोग (वार्षिक राख की प्रतिशतता)	कम से कम 20 प्रतिशत	कम से कम 35 प्रतिशत	कम से कम 50 प्रतिशत

परन्तु, यह और कि लीगेसी राख का उपयोग वहां अपेक्षित नहीं है, जहां राख के तालाब या डाइक स्थिर हो गए हैं और हरित पट्टी के निर्माण या पौध रोपण से पुनरुद्धार किया गया है और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस संबंध में प्रमाणित करेगा। किसी राख तालाब या डाइक के स्थिरीकरण और भूमि-उद्धार का कार्य, जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणन शामिल है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाएगा। अन्य सभी राख के कुंड या डाइक में शेष बचे राख का उपयोग ऊपर उल्लिखित समय-सीमाओं के अनुसार क्रमिक रूप से किया जाएगा।

टिप्पण: राख के उपयोग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उप पैरा (4) और (5) के अधीन दायित्व 01 अप्रैल, 2022 की तारीख से लागू होंगे।

- (6) किसी भी नए तापीय विद्युत संयंत्र (टीपीपी) में 0.1 हेक्टेयर प्रति मेगावाट (एमडब्ल्यू) क्षेत्रफल के साथ आपातकालीन या अस्थायी राख कुंड की अनुमति दी जा सकती है। राख के तालाब या डाइकों का तकनीकी विनिर्देश, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगा और ये दिशानिर्देश राख के कुंड या डाइक के संबंध में इसकी सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रदूषण, उपलब्ध प्रमात्रा, निपटान का तरीका, निपटान में जल की खपत या संरक्षण, राख जल पुनर्चक्रण और ग्रीन बेल्ट आदि के वार्षिक प्रमाणन के लिए कार्यविधि भी निर्धारित करेंगे और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (7) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि राख की लदाई, उतराई, ढुलाई, भंडारण और निपटान पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल रीति से किया गया है और वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए सभी ऐहियतात किए गए हैं और इस संबंध में स्थिति की सूचना इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को दी जाएगी।
- (8) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, संस्थापित क्षमता पर आधारित राख के कम से कम 16 घंटों के भंडारण के लिए समर्पित शुष्क फ्लाई राख साइलोस प्रतिष्ठापित करेगा, जिनके पास पृथक पहुंच मार्ग होंगे, जिससे कि राख पहुंचाने के कार्य को सुगम बनाया जा सके। इसकी सूचना संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को उपाबंध में दी जाएगी और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड (सीपीसीबी) या राज्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा।

- (9) प्रत्येक कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र (जिसके अंतर्गत कैप्टिव या सह उत्पादन केन्द्र भी है या दोनों), वास्तविक उपयोगकर्ता (उपयोगकर्ताओं) के हित के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेब पोर्टल या मोबाईल फोन एप्प का लिंक उपलब्ध कराकर ताप विद्युत संयंत्र के पास राख की उपलब्धता के वास्तविक आंकड़े प्रदान करेगा।
- (10) राख के 100 प्रतिशत उपयोग का वैधानिक दायित्व, जहां भी लागू हो, विधि में बदलाव के रूप में माना जाएगा।

ख. राख के उपयोग के प्रयोजनार्थ, उत्तरवर्ती उप पैराग्राफ लागू होंगे :-

- (1) ऐसे सभी अभिकरण (सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी), जो सड़क बिछाने, सड़क और फ्लाई ओवर के किनारों, तटीय जिलों में तटरेखा की सुरक्षा संरचनाओं और लिग्नाईट या कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से 300 किमी के भीतर बांधों जैसे निर्माण संबंधी कार्यकलापों में लगे हुए हैं, इन कार्यकलापों में अनिवार्य रूप से राख का उपयोग करेंगे :

परंतु इसको परियोजना स्थल पर निशुल्क पहुंचाया जाए और परिवहन लागत, ऐसे कोयला या लिग्नाईट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा वहन की जाए।

परंतु यह और कि ताप विद्युत संयंत्र पारस्परिक सहमत हुई शर्तों के अनुसार राख की लागत और परिवहन के लिए शुल्क ले सकता है उस मामले में जहां ताप विद्युत संयंत्र अन्य माध्यम से राख का निपटान करने में समर्थ है और ये अभिकरण इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और बिना लागत और बिना परिवहन शुल्क के राख उपलब्ध कराने के प्रावधान तभी लागू होंगे यदि उसके लिए ताप विद्युत संयंत्र उस निर्माण अभिकरण को नोटिस जारी करता है।

- (2) उक्त कार्यकलापों में राख का उपयोग भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय रोड कांग्रेस, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभागों और अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा निर्धारित किए गए विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

- (3) तापीय विद्युत संयंत्र की 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर अवस्थित सभी खानों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के तहत खुली आवर्त खानों में राख का पृष्ठ भंडारण करना या अधिक भार के ढेरों के साथ राख का मिश्रण करना बाध्यकारी होगा। सभी खान के स्वामी या प्रचालक (चाहे सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हो) कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से तीन सौ किलोमीटर (सड़क द्वारा) के भीतर, महानिदेशक, खान सुरक्षा (डीजीएमएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार ओवर बर्डन के बाह्य निक्षेप खान की बैकफिलिंग अथवा स्टोर्विंग (प्रचालित या छोड़ी गई खानों, जैसा भी मामला हो) के लिए उपयोग की गई सामग्रियों के भार-दर-भार के आधार पर कम से कम 25 प्रतिशत राख को मिश्रित करने के लिए उपाय करेंगे :

परंतु ऐसे तापीय विद्युत केन्द्र निःशुल्क राख प्रदान करके और परिवहन की लागत को वहन करके या पारस्परिक सहमत हुई शर्तों पर लिए गए निर्णय के अनुसार लागत या परिवहन व्यवस्था करके राख की अपेक्षित मात्रा की उपलब्धता को सुकर बनायेंगे और खानों के खाली स्थानों और ढेरों में अधिकभार के साथ राख को मिश्रित करना, सृजित अधिभार के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा और उक्त कार्यकलापों में राख का उपयोग, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महानिदेशक खान सुरक्षा और भारतीय खदान ब्यूरो द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण .- इस उप-पैरा के प्रयोजन के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लागत मुक्त राख और निःशुल्क परिवहन के उपबंध केवल तभी लागू होंगे यदि ताप विद्युत संयंत्र इसके लिए खान मालिक को नोटिस देते हैं और अधिभार वाले ढेर के साथ मिश्रित करने और खान में खाली स्थान को भरने के लिए राख के 25 प्रतिशत हिस्से के उपयोग का अधिदेश तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि ताप विद्युत संयंत्र द्वारा खान मालिक को नोटिस न दिया गया हो।

- (5) (i) सभी खान मालिकों को खान में खाली स्थानों में राख को समायोजित करने के लिए खान बंद योजना (प्रगामी और अंतिम) तैयार करनी होगी और खान में खाली स्थानों में राख के निपटान और अधिभार वाले ढेर के साथ राख को मिश्रित करने के लिए खान योजनाओं को संबंधित प्राधिकारी अनुमोदित करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों और कोयला खदानों की पर्यावरणीय मंजूरी की अपेक्षा से छूट देने के साथ-साथ ऐसे निपटान के लिए अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों के संबंध में तारीख 28 अगस्त, 2019 को दिशानिर्देश जारी किए गए।
- (ii) मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महानिदेशक, खान सुरक्षा (डीजीएमएस) और भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के साथ परामर्श करके, खानों में खाली स्थानों में राख के निपटान करने तथा अधिभार वाले ढेरों में इसे मिश्रित करना सुगम बनाने के लिए समय-समय पर आगे भी दिशानिर्देश जारी कर सकता है और यह खान मालिकों की जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसी खानों को अभिज्ञात करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई अनुमतियों में आवश्यक संशोधन या परिवर्तन प्राप्त करेंगे।
- (6) (i) पर्यावरणीय प्रदूषण के संदर्भ में सुरक्षा, व्यवहार्यता (आर्थिक व्यवहार्यता नहीं) और पहलुओं की जांच सहित राख से खान में खाली स्थान को वापस भरने/अधिभार वाले ढेर के साथ राख को मिश्रित करने के लिए खानों की पहचान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, महानिदेशक खान सुरक्षा और भारतीय खान ब्यूरो से प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा और यह समिति पणधारी मंत्रालयों या विभागों के लिए अभिज्ञात खानों (भूमिगत और खुली, दोनों) के संबंध में तैयार की गई तिमाही रिपोर्टों को अद्यतन करेगी और यह समिति, इस अधिसूचना के प्रकाशन के तुरंत पश्चात उपयुक्त खानों की पहचान करना आरंभ करेगी।
- (ii) ताप विद्युत संयंत्र या खानें, उपरोक्त अनुसार अधिदेशित उपयोग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त समिति द्वारा पहचान किए जाने तक राख के निपटान हेतु प्रतीक्षा नहीं करेंगी।
- (7) राख से निचले क्षेत्र को भरने का कार्य, अनुमोदित परियोजनाओं के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति से और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अनुमोदित स्थलों, अवस्थान, क्षेत्र और अनुमत मात्रा को अपनी वेबसाइट पर प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाएगा।
- (8) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संगत पणधारी के साथ मिलकर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा अनुमति प्रदान करने के लिए समयबद्ध ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रस्तुत करने के साथ-साथ इस अधिसूचना के अधीन परिकल्पित सभी प्रकार के कार्यकलापों के लिए एक वर्ष के भीतर दिशानिर्देश प्रस्तुत करेगा।
- (9) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र से तीन सौ किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी भवन निर्माण परियोजनाएं (केंद्रीय, राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों सरकारी उपक्रमों, अन्य सरकारी अभिकरणों तथा सभी निजी अभिकरणों) राख की ईटों, टाइल्स, धातुमल राख अथवा अन्य राख आधारित उत्पादों का उपयोग करेंगी बशर्ते कि वे वैकल्पिक उत्पादों की कीमत से अधिक कीमत पर उपलब्ध न हो।
- (10) राख आधारित उत्पादों के विनिर्माण और ऐसे उत्पादों में राख के उपयोग में भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय सड़क कांग्रेस और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और दिशानिर्देशों की अनुपालना होगी।
- ग. गैर-अनुपालन के लिए पर्यावरणीय प्रतिकर .-**
- (1) तीन वर्ष के चक्र के प्रथम दो वर्षों में, यदि कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र (कैप्टिव और/ या सह-उत्पादक स्टेशनों या दोनों सहित) ने कम-से-कम 80 प्रतिशत राख (फ्लाइ-राख और बॉटम-राख) उपयोग नहीं की है तो ऐसे गैर-अनुपालन ताप विद्युत संयंत्रों पर प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर वित्तीय वर्ष के

अंत में अप्रयुक्त राख पर 1000 रुपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा और यदि यह तीन वर्ष के चक्र के तीसरे वर्ष में 100 प्रतिशत राख का उपयोग करने में असमर्थ रहता है, तो वह अप्रयुक्त मात्रा पर 1000 रुपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर के भुगतान का पात्र होगा, जिस पर पहले पर्यावरणीय प्रतिकर नहीं लगायी गयी है।

परंतु पर्यावरणीय प्रतिकर को पैरा क के उप-पैरा (4) में उल्लिखित विभिन्न उपयोगी श्रेणियों के अनुसार प्रथम अनुपालन चक्र के अंतिम वर्ष के अंत में अनुमान लगाया जाएगा और अधिरोपित किया जाएगा।

- (2) अधिकारियों द्वारा एकत्रित पर्यावरणीय प्रतिकर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्दिष्ट खाते में जमा किया जाएगा।
- (3) लैगोसी राख के मामले में, यदि कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र (कैप्टिव या सह-उत्पादक स्टेशनों या दोनों सहित) ने स्थापित क्षमता पर आधारित उत्पन्न राख का कम-से-कम 20 प्रतिशत (प्रथम वर्ष के लिए), 35 प्रतिशत (द्वितीय वर्ष के लिए), 50 प्रतिशत (तीसरे से दसवें वर्ष तक) उपयोग के बराबर लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रयुक्त लैगोसी राख पर 1000 रुपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा और यदि 10 वर्ष के अंत में लैगोसी राख का उपयोग नहीं किया जाता है तो 1000 रुपए प्रति टन की दर से शेष अप्रयुक्त मात्रा पर पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा जिस पर पहले पर्यावरणीय प्रतिकर नहीं लगाया गया है।
- (4) अधिकृत खरीददारों या उपभोक्ता अभिकरणों तक राख भेजने की जिम्मेदारी परिवहकों या वाहन मालिक की जिम्मेदारी है और यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अनधिकृत उपयोगकर्ताओं अथवा गैर-अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ऐसी मात्रा गलत तरीके से वितरित करने पर 1500 रुपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर लगायी, इसके अतिरिक्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा गैर अनुपालनकर्ता परिवहकों पर अभियोजन लागू होगा।
- (5) इस अधिसूचना के पैरा ख में विहित पर्यावरण अनुकूल तरीके में राख के उपयोग की जिम्मेदारी खरीददार या उपभोगकर्ता एजेंसियों की है और ऐसा नहीं करने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा 1500 रुपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा।
- (6) यदि उपयोगकर्ता अधिकरण पैरा ख के अधीन निर्धारित सीमा तक अथवा पैरा घ के उप-पैरा (1) के अधीन, दिए गए नोटिस के माध्यम से सूचित की गई सीमा, इनमें से जो भी कम हो, तक राख का उपयोग नहीं करती है, वे अतिरिक्त राख की मात्रा का 1500 रुपए प्रति टन की दर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगी।
परंतु भवन निर्माण के संबंध में पर्यावरणीय प्रतिकर निर्मित क्षेत्र के 75 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से वसूल किया जाएगा।
- (7) (i) ताप विद्युत संयंत्रों अन्य बकायादारों से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगायी गई का पर्यावरणीय प्रतिकर उपयोग अप्रयुक्त राख के सुरक्षित निपटान हेतु किया जाएगा और राख आधारित उत्पादों सहित राख के उपयोग के संबंध में और अधिक अनुसंधान करने के लिए भी निधि का उपयोग किया जा सकता है।
(ii) अप्रयुक्त मात्रा पर लगाए गए पर्यावरणीय प्रतिकर के पश्चात भी राख के उपयोग का उत्तरदायित्व ताप विद्युत संयंत्रों की होगी और यदि पश्चातवती चक्रों में पर्यावरणीय प्रतिकर लगाने के पश्चात ताप विद्युत संयंत्र, किसी विशेष चक्र की राख के उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करता है तो अगले चक्र के दौरान अप्रयुक्त मात्रा पर एकत्र की गई पर्यावरणीय प्रतिकर में 10 प्रतिशत कटौती के पश्चात उक्त रकम ताप विद्युत संयंत्र को वापस कर दी जाएगी और पश्चातवती चक्रों में राख के उपयोग के मामले में एकत्र की गई पर्यावरणीय प्रतिकर की 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और उसी क्रम में कटौती की जानी है।

घ. राख या राख आधारित उत्पादों की आपूर्ति हेतु प्रक्रिया .-

- (1) ताप विद्युत संयंत्रों के स्वामी अथवा राख की ईंटों या टाईल्स या धातुमल आधारित राख के विनिर्माता उन व्यक्तियों या अभिकरणों को लिखित सूचना देंगे जो बिक्री या परिवहन या दोनों के लिए प्रस्तुत राख या राख आधारित उत्पादों के उपयोग के लिए उत्तरदायी हैं।
- (2) ऐसे व्यक्ति या उपयोगकर्ता अभिकरणों जिन्हें ताप विद्युत संयंत्रों के स्वामी द्वारा या राख की ईंटों या टाईल्स या धातुमल आधारित राख के उत्पादकों द्वारा सूचना दी गई है, यदि वे पहले ही राख या राख उत्पादों के उपयोग के प्रयोजन से अन्य अभिकरणों के साथ जुड़े हुए हैं, यदि वे किसी भी राख/राख उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकते हैं अथवा कम मात्रा का उपयोग कर सकते हैं, तदनुसार ताप विद्युत संयंत्र को सूचित करेंगे।

ड. प्रवर्तन, निगरानी, लेखा परीक्षा और प्रतिवेदन करना

- (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी), उपबंधों के अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन और निगरानी प्राधिकरण होंगे। सीपीसीबी या एसपीसीबी या पीसीसी तिमाही आधार पर राख के उपयोग की निगरानी करेंगे और सीपीसीबी इस प्रयोजन के लिए अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से छः माह के भीतर एक पोर्टल विकसित करेगा। संबंधित जिला अधिकारी के पास इस अधिसूचना के उपबंधों को लागू करने और निगरानी करने के लिए समवर्ती अधिकारिता होगी।
- (2) (i) ताप विद्युत संयंत्र, राख उत्सर्जन और उपयोग से संबंधित मासिक सूचना वेब पोर्टल पर अगले महीने की 5 तारीख तक अपलोड करेगा। कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप ऊर्जा संयंत्रों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन संबंधी सूचना उपलब्ध कराते हुए वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए) अप्रैल माह के 30वें दिन तक प्रस्तुत की जाएगी। सीपीसीबी और सीईए द्वारा सभी ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों का समेकन किया जाएगा और उसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 31 मई तक प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ii) सभी अन्य उपयोगकर्ता अधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा जारी पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा जारी संचालन की सहमति (सीटीओ), जो भी लागू हो, की अनुपालना रिपोर्ट में इस अधिसूचना में आज्ञापकता के अनुसार राख के उपभोग या उपयोग या निस्तारण तथा राख आधारित उत्पादों के उपयोग संबंधी सूचना प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) अधिसूचना के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु ताप विद्युत संयंत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकरणों की राख उपयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।
- (3) इस अधिसूचना के उपबंधों की निगरानी और कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारी उद्यम विभाग से होने के साथ-साथ समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले कोई संबंधित पणधारी होंगे। यह समिति संगत पणधारी को आमंत्रित कर सकती है। यह समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के प्रभावी और दक्ष कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें कर सकती है। यह समिति छः माह में कम से कम एक बार एक बैठक करेगी और वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्टों की समीक्षा करेगी और यह समिति, इस अधिसूचना द्वारा आज्ञापक किए गए अनुसार छः महीनों में कम से कम एक बार संगत पणधारी (को) को आमंत्रित करके राख के उपयोग की निगरानी करने के लिए पणधारी से साथ परामर्शदात्री बैठकें आयोजित करेगी। यह समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) को छः मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

- (4) ताप विद्युत संयंत्रों और राख के उपयोगकर्ताओं या राख आधारित उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच के विवाद का समाधान करने के प्रयोजन से राज्य सरकारें या संघ राज्यक्षेत्र की सरकारें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेंगी जिसमें विद्युत विभाग के प्रतिनिधि और एक प्रतिनिधि उस विभाग का होगा, जो विवाद वाले संबंधित अभिकरण का कार्य देख रहे हैं।
- (5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्राधिकृत लेखा परीक्षकों द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों और उपयोगकर्ता अभिकरणों द्वारा किए गए राख के निपटान की अनुपालन लेखा परीक्षा संचालित की जाएगी और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को प्रस्तुत की जाएगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अनुपालन न करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।

[फा. सं. एचएसएम-9/1/2019-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

उपाबंध

31 मई तक अथवा उससे पहले प्रस्तुत की जाने वाली राख संबंधी उपबंधों की अनुपालन रिपोर्ट (01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिए)।

क्र.सं.	ब्यौरा	
1.	विद्युत संयंत्र का नाम	
2.	कंपनी का नाम	
3.	जिला	
4.	राज्य	
5.	पत्राचार के लिए डाक का पता :	
6.	ई-मेल :	
7.	विद्युत संयंत्र की संस्थापित क्षमता (मेगा वॉट) :	
8.	संयंत्र लोड फैक्टर (पीएलएफ) :	
9.	उत्पादित यूनिटों की संख्या (एमडब्ल्यूएच) :	
10.	विद्युत संयंत्र के अंतर्गत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर) (राख कुंडों के अधीन क्षेत्र सहित) :	
11.	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान कोयला खपत की मात्रा (प्रति वर्ष मीट्रिक टन) :	
12.	औसत राख सामग्री प्रतिशतता में (%) :	
13.	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान वर्तमान में उत्पादित राख की मात्रा (प्रति वर्ष मीट्रिक टन) : फ्लाय राख (प्रति वर्ष मीट्रिक टन) : बॉटम राख (प्रति वर्ष मीट्रिक टन) :	
14.	ड्राई फ्लाय राख भंडारण गड्ढा (गड्ढों) की क्षमता (मीट्रिक टन) :	
15.	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान वर्तमान में उत्पादित राख के उपयोग का ब्यौरा: (क) रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान वर्तमान में उपयोग की गई राख की	

	<p>कुल मात्रा (एमटीपीए) :</p> <p>(ख) उपयोग की गई फ्लाई राख की मात्रा (एमटीपीए) :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. फ्लाई-एश आधारित उत्पाद (ईट या ब्लॉक या टाइल्स या फाइबर सीमेंट शीट या पाइप या बोर्ड/पैनल) : ii. सीमेंट विनिर्माण : iii. रेडी मिक्स कंक्रीट : iv. राख और जीओ-पॉलिमर आधारित निर्माण सामग्री : v. सिंटर्ड या कोल्ड बॉन्डेड राख एग्रीगेट का निर्माण : vi. सड़कों, सड़क और फ्लाई ओवर के पुशतों का निर्माण : vii. बांधों का निर्माण : viii. निम्न भू-क्षेत्र का भराव : ix. खनिज क्षेत्रों का भराव : x. अधिभार वाले डम्पों में उपयोग : xi. कृषि : xii. तटीय जिलों में तटरेखा सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण : xiii. अन्य देशों को राख का निर्यात : xiv. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : <p>(ग) उपयोग किए गए तल के राख की मात्रा (एमटीपीए) :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. फ्लाई-एश आधारित उत्पाद (ईट या ब्लॉक या टाइल्स या फाइबर सीमेंट शीट या पाइप या बोर्ड या पैनल) : ii. सीमेंट विनिर्माण : iii. रेडी मिक्स कंक्रीट : iv. राख और जीओ-पॉलिमर आधारित निर्माण सामग्री : v. सिंटर्ड या कोल्ड बॉन्डेड राख एग्रीगेट का निर्माण : vi. सड़कों, सड़क और फ्लाईओवर के पुशतों का निर्माण : vii. बांधों का निर्माण : viii. निम्न भू-क्षेत्र का भराव : ix. खनिज क्षेत्रों का भराव : x. अधिभार वाले डम्पों में उपयोग : xi. कृषि : xii. तटीय जिलों में तटरेखा सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण : xiii. अन्य देशों को राख का निर्यात : xiv. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : <p>रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान वर्तमान में अप्रयुक्त राख की कुल मात्रा (एमटीपीए) :</p>	
16.	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान वर्तमान में उत्पादित राख का प्रतिशतता उपयोग (%) :	
17.	<p>राख कुंडों में राख के निपटान का ब्यौरा</p> <p>क) तारीख 31 मार्च तक (रिपोर्टिंग की अवधि को छोड़कर) राख कुण्ड (कुण्डों) में निपटान किए गए राख की कुल मात्रा (मीट्रिक टन):</p>	

	<p>ख) रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान राख कुण्ड (कुण्डों) में निपटान किए गए राख की मात्रा (मीट्रिक टन):</p> <p>ग) रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान राख कुण्डों में गारा निस्सरण हेतु खपत हुए जल की कुल मात्रा (मी³):</p> <p>घ) राख कुण्डों की कुल संख्या:</p> <p>(i) सक्रिय:</p> <p>(ii) खाली किए गए (पुनः भरा जाना है)</p> <p>(iii) पुनः भरे गए:</p> <p>ड.) राख कुण्डों के अधीन कुल क्षेत्र (हेक्टेयर):</p>	
18.	<p>अलग-अलग राख कुण्ड का ब्यौरा</p> <p>राख कुण्ड 1,2 आदि (यदि राख कुण्डों की संख्या एक से अधिक हो, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरा अलग से उपलब्ध कराएं)</p> <p>क) स्थिति: निर्माणाधीन या सक्रिय या खाली किया गया या पुनः भरा गया</p> <p>ख) राख कुण्ड में राख का निपटान शुरू करने की तारीख/महीना/वर्ष या महीना/वर्ष):</p> <p>ग) राख कुण्ड की क्षमता पूर्ण किए जाने के पश्चात् उसमें राख निपटान रोकने की तारीख</p> <p>(तारीख/महीना/वर्ष या महीना/वर्ष):</p> <p>(सक्रिय राख कुण्डों के लिए लागू नहीं)</p> <p>ग) क्षेत्र (हेक्टेयर):</p> <p>घ) डाइक की ऊंचाई (मी.):</p> <p>घ) आयतन (मी³):</p> <p>ड.) तारीख 31 मार्च तक निपटान किए गए राख की मात्रा (मीट्रिक टन):</p> <p>च) उपलब्ध आयतन का प्रतिशत (%) और आगे निपटान किए जा सकने वाले राख की मात्रा (मीट्रिक टन):</p> <p>छ) राख कुण्ड के भरे जाने की अनुमानित अवधि (वर्षों और महीनों की संख्या):</p> <p>ड.) निर्देशांक (अक्षांश और देशान्तर):</p> <p>(कृपया न्यूनतम 4 निर्देशांकों को विनिर्दिष्ट करें)</p> <p>ज) राख कुण्ड में की गई लाइनिंग का प्रकार: एचडीपीई लाइनिंग या एलडीपीई लाइनिंग या क्ले लाइनिंग या कोई लाइनिंग नहीं</p> <p>छ) निपटान की विधि: शुष्क निपटान या नम गारा (नम गारा के मामले में कृपया विनिर्दिष्ट करें कि क्या एचसीएसडी या एमसीएसडी या एलसीएसडी है)</p> <p>ज) राख का अनुपात: गारा मिश्रण में जल (1:___):</p> <p>झ) संस्थापित और कार्यशील राख जल पुनर्चक्रण प्रणाली (एडब्ल्यूआरएस): हां या नहीं</p> <p>ञ) जमीन के अंदर या जल निकाय में राख कुण्ड से निस्सरित अपशिष्ट जल की मात्रा (मी³):</p> <p>ट) डाइक की स्थिरता का अध्ययन कराए जाने की पिछली तारीख और उस संगठन का नाम जिसने अध्ययन किया:</p> <p>ठ) लेखा-परीक्षा किए जाने की पिछली तारीख और उस संगठन का नाम जिसने लेखा-परीक्षा की:</p>	
19.	<p>उपयोग किए गए पुराने राख की मात्रा (एमटीपीए):</p> <p>i. फ्लाई-एश आधारित उत्पाद (ईट या ब्लॉक या टाइल्स या फाइबर</p>	

	सीमेंट शीट या पाइप या बोर्ड या पैनल):			
	ii. सीमेंट विनिर्माण:			
	iii. रेडी मिक्स कंक्रीट:			
	iv. राख और जीओ-पॉलिमर आधारित निर्माण सामग्री:			
	v. सिंटर्ड या कोल्ड बॉन्डेड राख एग्रीगेट का निर्माण:			
	vi. सड़कों, सड़क और फ्लाई ओवर के पुशतों का निर्माण:			
	vii. बांधों का निर्माण:			
	viii. निम्न भू-क्षेत्र का भराव:			
	ix. खनिज क्षेत्रों का भराव:			
	x. अधिभार वाले डम्पों में उपयोग:			
	xi. कृषि:			
	xii. तटीय जिलों में तटरेखा सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण:			
	xiii. अन्य देशों को राख का निर्यात			
	xiv. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें):			
20.	सार :			
	व्यौरा	सृजित मात्रा (एमटीपी)	उपयोग की गई मात्रा (एमटीपी) और (%)	शेष मात्रा (एमटीपी)
	रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान राख			
	पुरानी राख			
	कुल			
21.	कोई अन्य सूचना : वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट, और विद्युत संयंत्रों और राख कुण्डों की शेष फाइलों की सॉफ्ट कॉपी ई-मेल:- moefcc- coalash@gov.in पर भेजी जाए।			
22.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर			

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2021

S.O. 5481(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* S.O.763 (E), dated the 14th September, 1999, as amended from time to time, the Central Government, issued directions for restricting the excavation of top soil for manufacturing of bricks and promoting the utilisation of fly ash in the manufacturing of building materials and in construction activity within a specified radius of three hundred kilometres from the coal or lignite based thermal power plants;

And whereas, to implement the aforesaid notification more effectively based on the polluter pays principle (PPP) thereby ensuring 100 per cent utilisation of fly ash by the coal or lignite based thermal power plants and for the sustainability of the fly ash management system, the Central Government reviewed the existing notification; and whereas environmental compensation needs to be introduced based on the polluter pays principle;

And whereas, there is a need to conserve top soil by promoting manufacture and mandating use of ash based products and building materials in the construction sector;

And whereas, there is a need to conserve top soil and natural resources by promoting utilisation of ash in road laying, road and flyover embankments, shoreline protection measures, low lying areas of approved projects, backfilling of mines, as an alternative for filling of earthen materials;

And whereas, it is necessary to protect the environment and prevent the dumping and disposal of fly ash discharged from coal or lignite based thermal power plants on land;

And whereas, in the said notification the phrase 'ash', has been used which includes both fly ash as well as bottom ash generated from the Coal or Lignite based thermal power plants;

And whereas, the Central Government intends to bring out a comprehensive framework for ash utilisation including system of environmental compensation based on polluter pays principle;

And whereas, a draft notification on ash utilisation by coal or lignite thermal power plants in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Environment and Forests published in the Gazette of India, Extra Ordinary part II, section 3, sub-section (i) *vide* S.O.763 (E), dated the 14th September, 1999, by notification in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* G.S.R. 285(E), dated the 22nd April, 2021 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft provisions were made available to the public;

And, whereas all the objections and suggestions received from all persons likely to be affected thereby in respect of the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, and in supersession of the Notification S.O.763 (E), dated the 14th September, 1999 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby issues the following notification on ash utilisation from coal or lignite thermal power plants which shall come into force on the date of the publication of this notification, namely:-

A. Responsibilities of thermal power plants to dispose fly ash and bottom ash.—

- (1) Every coal or lignite based thermal power plant (including captive or co-generating stations or both) shall be primarily responsible to ensure 100 per cent utilisation of ash (fly ash, and bottom ash) generated by it in an eco-friendly manner as given in sub-paragraph (2);
- (2) The ash generated from coal or lignite based thermal power plants shall be utilised only for the following eco-friendly purposes, namely:-
 - (i) Fly ash based products viz. bricks, blocks, tiles, fibre cement sheets, pipes, boards, panels;
 - (ii) Cement manufacturing, ready mix concrete;
 - (iii) Construction of road and fly over embankment, Ash and Geo-polymer based construction material;
 - (iv) Construction of dam;
 - (v) Filling up of low lying area;
 - (vi) Filling of mine voids;
 - (vii) Manufacturing of sintered or cold bonded ash aggregate;
 - (viii) Agriculture in a controlled manner based on soil testing;
 - (ix) Construction of shoreline protection structures in coastal districts;

- (x) Export of ash to other countries;
- (xi) Any other eco-friendly purpose as notified from time to time.
- (3) A committee shall be constituted under the chairmanship of Chairman, Central Pollution Control Board (CPCB) and having representatives from Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), Ministry of Power, Ministry of Mines, Ministry of Coal, Ministry of Road Transport and Highways, Department of Agricultural Research and Education, Institute of Road Congress, National Council for Cement and Building Materials, to examine and review and recommend the eco-friendly ways of utilisation of ash and make inclusion or exclusion or modification in the list of such ways as mentioned in Sub-paragraph (2) based on technological developments and requests received from stakeholders. The committee may invite State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, operators of thermal power plants and mines, cement plants and other stakeholders as and when required for this purpose. Based on the recommendations of the Committee, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) may publish such eco-friendly purpose.
- (4) Every coal or lignite based thermal power plant shall be responsible to utilise 100 per cent ash (fly ash and bottom ash) generated during that year, however, in no case shall utilisation fall below 80 per cent in any year, and the thermal power plant shall achieve average ash utilisation of 100 per cent in a three years cycle:

Provided that the three years cycle applicable for the first time is extendable by one year for the thermal power plants where ash utilisation is in the range of 60-80 per cent, and two years where ash utilisation is below 60 per cent and for the purpose of calculation of percentage of ash utilisation, the percentage quantity of utilisation in the year 2021- 2022 shall be taken into account as per the table below:

Utilisation percentages of thermal power plants	First compliance Cycle to meet 100 per cent utilisation	Second compliance cycle onwards, to meet 100 per cent utilisation
>80 per cent	3 years	3 years
60-80 per cent	4 years	3 years
<60 per cent	5 years	3 years

Provided further that the minimum utilisation percentage of 80 per cent shall not be applicable to the first year and first two years of the first compliance cycle for the thermal power plants under the utilisation category of 60-80 per cent and <60 per cent, respectively.

Provided also that 20per cent of ash generated in the final year of compliance cycle may be carried forward to the next cycle which shall be utilised in the next three years cycle along with the ash generated during that cycle.

- (5) The unutilised accumulated ash i.e. legacy ash, which is stored before the publication of this notification, shall be utilised progressively by the thermal power plants in such a manner that the utilization of legacy ash shall be completed fully within ten years from the date of publication of this notification and this will be over and above the utilisation targets prescribed for ash generation through current operations of that particular year:

Provided that the minimum quantity of legacy ash in percentages as mentioned below shall be utilised during the corresponding year and the minimum quantity of legacy ash is to be calculated based on the annual ash generation as per installed capacity of thermal power plant.

Year from date of publication	1 st	2 nd	3 rd -10 th
Utilisation of legacy ash (in percentage of Annual ash)	At least 20 per cent	At least 35 per cent	At least 50 per cent

Provided further that the legacy ash utilisation shall not be required where ash pond or dyke has stabilised and the reclamation has taken place with greenbelt or plantation and the concerned State Pollution Control Board shall certify in this regard. Stabilisation and reclamation of an ash pond or dyke including certification by the Central Pollution Control Board (CPCB) or State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) shall be carried out within a year from the date of publication of this notification. The ash remaining in all other ash ponds or dykes shall be utilised in progressive manner as per the above mentioned timelines.

Note: The obligations under sub-paragraph (4) and (5) above for achieving the ash utilisation targets shall be applicable from 1st April, 2022.

- (6) Any new as well as operational thermal power plant may be permitted an emergency or temporary ash pond with an area of 0.1 hectare per Mega Watt (MW). Technical specifications of ash ponds or dykes shall be as per the guidelines of Central Pollution Control Board (CPCB) made in consultation with Central Electricity Authority (CEA) and these guidelines shall also lay down a procedure for annual certification of the ash pond or dyke on its safety, environmental pollution, available volume, mode of disposal, water consumption or conservation in disposal, ash water recycling and greenbelt, etc., and shall be put in place within three months from the date of publication of this notification.
- (7) Every coal or lignite based thermal power plant shall ensure that loading, unloading, transport, storage and disposal of ash is done in an environmentally sound manner and that all precautions to prevent air and water pollution are taken and status in this regard shall be reported to the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) in Annexure attached to this notification.
- (8) Every coal or lignite based thermal power plant shall install dedicated silos for storage of dry fly ash silos for at least sixteen hours of ash based on installed capacity and it shall be reported upon to the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) in the Annexure and shall be inspected by Central Pollution Control Board (CPCB) or State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) from time to time.
- (9) Every coal or lignite based thermal power plant (including captive or co-generating stations or both) shall provide real time data on daily basis of availability of ash with Thermal Power Plant (TPP), by providing link to Central Pollution Control Board's web portal or mobile phone App for the benefit of actual user(s).
- (10) Statutory obligation of 100 per cent utilisation of ash shall be treated as a change in law, wherever applicable.

B. For the purpose of utilisation of ash, the subsequent sub-paras shall apply.—

- (1) All agencies (Government, Semi-government and Private) engaged in construction activities such as road laying, road and flyover embankments, shoreline protection structures in coastal districts and dams within 300 kms from the lignite or coal based thermal power plants shall mandatorily utilise ash in these activities:

Provided that it is delivered at the project site free of cost and transportation cost is borne by such coal or lignite based thermal power plants.

Provided further that thermal power plant may charge for ash cost and transportation as per mutually agreed terms, in case thermal power plant is able to dispose the ash through other means and those agencies makes a request for it and the provisions of ash free of cost and free transportation shall be applicable, if thermal power plant serves a notice on the construction agency for the same.

- (2) The utilisation of ash in the said activities shall be carried out in accordance with specifications and guidelines laid down by the Bureau of Indian Standards, Indian Road Congress, Central Building Research Institute, Roorkee, Central Road Research Institute, Delhi, Central Public Works Department, State Public Works Departments and other Central and State Government Agencies.

- (3) It shall be obligatory on all mines located within 300 kilometres radius of thermal power plant, to undertake backfilling of ash in mine voids or mixing of ash with external Overburden dumps, under Extended Producer Responsibility (EPR). All mine owners or operators (Government, Public and Private Sector) within three hundred kilometres (by road) from coal or lignite based thermal power plants, shall undertake measures to mix at least 25 per cent of ash on weight to weight basis of the materials used for external dump of overburden, backfilling or stowing of mine (running or abandoned as the case may be) as per the guidelines of the Director General of Mines Safety (DGMS):

Provided that such thermal power stations shall facilitate the availability of required quantity of ash by delivering ash free of cost and bearing the cost of transportation or cost of transportation arrangement decided on mutually agreed terms and mixing of ash with overburden in mine voids and dumps shall be applicable for the overburden generated from the date of publication of this notification and the utilisation of ash in the said activities shall be carried out in accordance with guidelines laid down by the Central Pollution Control Board, Director General of Mines Safety and Indian Bureau of Mines.

Explanation.- For the purpose of this sub-paragraph, it is also clarified that the provisions of ash free of cost and free transportation shall be applicable, if thermal power plants serve a notice on the mine owner for the same and the mandate of using 25 per cent of ash for mixing with overburden dump and filling up of mine voids shall not be applicable unless a notice is served on the mine owner by thermal power plant.

- (4) (i) All mine owners shall get mine closure plans (progressive and final) to accommodate ash in the mine voids and the concerned authority shall approve mine plans for disposal of ash in mine voids and mixing of ash with overburden dumps. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) has issued guidelines on 28th August, 2019 regarding exemption of requirement of Environmental Clearance of thermal power plants and coal mines along with the guidelines to be followed for such disposal.
- (ii) The Ministry in consultation with Central Pollution Control Board (CPCB), Director General of Mine Safety (DGMS) and Indian Bureau of Mines (IBM) may issue further guidelines time to time to facilitate ash disposal in mine voids and mixing with overburden dumps and it shall be the responsibility of mine owners to get the necessary amendments or modifications in the permissions issued by various regulatory authorities within one year from the date of identification of such mines.
- (5) (i) There shall be a committee headed by Chairperson, Central Pollution Control Board (CPCB) with representatives from Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Power, Ministry of Mines, Ministry of Coal, Director General of Mine Safety and Indian Bureau of Mines for identification of mines for backfilling of mine voids with ash or mixing of ash with overburden dump including examination of safety, feasibility (not economic feasibility) and aspects of environmental contamination and the committee shall get updated quarterly reports prepared regarding identified mines (both underground and opencast) for the stakeholder Ministries or Departments and the committee shall start identifying the suitable mines immediately after the publication of this notification.
- (ii) Thermal power plants or mines shall not wait for disposal of ash till the identification is done by the above mentioned committee, to meet the utilisation targets mandated as above.
- (6) Filling of low lying areas with ash shall be carried out with prior permission of the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee for approved projects, and in accordance with guidelines laid down by Central Pollution Control Board (CPCB) and the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee (PCC) shall publish approved sites, location, area and permitted quantity annually on its website.
- (7) Central Pollution Control Board after engaging relevant stakeholders, shall put in place the guidelines within one year for all types of activities envisaged under this notification including putting in place time bound online application process for the grant permission by State Pollution Control Boards (SPCBs) or Pollution Control Committees (PCCs).

- (8) All building construction projects (Central, State and Local authorities, Govt. undertakings, other Govt. agencies and all private agencies) located within a radius of three hundred kilometres from a coal or lignite based thermal power plant shall use ash bricks, tiles, sintered ash aggregate or other ash based products, provided these are made available at prices not higher than the price of alternative products.
- (9) Manufacturing of ash based products and use of ash in such products shall be in accordance with specifications and guidelines laid down by the Bureau of Indian Standards, Indian Road Congress, and Central Pollution Control Board.

C. Environmental compensation for non-compliance.—

- (1) In the first two years of a three years cycle, if the coal or lignite based thermal power plant (including captive or co-generating stations or both) has not achieved at least 80 per cent ash (fly ash and bottom ash) utilisation, then such non-compliant thermal power plants shall be imposed with an environmental compensation of Rs. 1000 per ton on unutilised ash during the end of financial year based on the annual reports submitted and if it is unable to utilise 100 per cent of ash in the third year of the three years cycle, it shall be liable to pay an environmental compensation of Rs. 1000 per ton on the unutilised quantity on which environmental compensation has not been imposed earlier:

Provided that the environmental compensation shall be estimated and imposed at the end of last year of the first compliance cycle as per the various utilisation categories as mentioned in sub-paragraph (4) of Para A.

- (2) Environmental compensation collected by the authorities shall be deposited in the designated account of Central Pollution Control Board.
- (3) In case of legacy ash, if the coal or lignite based thermal power plant (including captive or co-generating stations or both) has not achieved utilisation equivalent to at least 20 per cent (for the first year), 35 per cent (for the second year), 50 per cent (for third to tenth year) of ash generated based on installed capacity, an environmental compensation of Rs. 1000 per ton of unutilised legacy ash during that financial year shall be imposed and if the utilization of legacy ash is not completed at the end of 10 years, an environmental compensation of Rs.1000 per ton shall be imposed on the remaining unutilised quantity which has not been imposed earlier.
- (4) It shall be the responsibility of the transporters or vehicle owner to deliver ash to authorised purchaser or user agency and if it is not complied, then an environmental compensation of Rs. 1500 per ton on such quantity as mis-delivered to unauthorised users or non- delivered to authorised users will be imposed besides prosecution of such non-compliant transporters by State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC).
- (5) It is the responsibility of the purchasers or user agencies to utilise ash in an eco-friendly manner as laid down at para B of this notification and if it is not complied, then an environmental compensation of Rs. 1500 per ton shall be imposed by State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC).
- (6) If the user agencies do not utilise ash to the extent obligated under para B or the extent to which they have been intimated through Notice(s) served under sub-paragraph (1) of para D, whichever is lower, they shall be liable to pay Rs. 1500 per ton of ash for the quantity they fall short off:

Provided that the environmental compensation on building constructions shall be levied at Rs.75/- per square feet of built up area of construction.

- (7) (i) The environmental compensation collected by Central Pollution Control Board from the thermal power plants and other defaulters shall be used towards the safe disposal of the unutilised ash and the fund may also be utilised for advancing research on use of ash including ash based products.

(ii) The liability of ash utilisation shall be with thermal power plants even after imposition of environmental compensation on unutilised quantities and in case thermal power plant achieves the ash utilisation of any

particular cycle after imposition of environmental compensation in subsequent cycles, the said amount shall be returned to thermal power plant after deducting 10 per cent of the environmental compensation collected on the unutilised quantity during the next cycle and deduction of 20 per cent, 30 per cent, and so on, of the environmental compensation collected is to be made in case of utilisation of ash in subsequent cycles.

D. Procedure for supply of ash or ash based products.—

- (1) The owner of thermal power plants or manufacturers of ash bricks or tiles or sintered ash aggregate shall serve written notice to persons or agencies who are liable to utilise ash or ash based products, offering for sale, or transport or both.
- (2) Persons or user agencies who have been served notices by owner of thermal power plants or manufacturers of ash bricks or tiles or sintered ash aggregate, if they have already tied up with other agencies for the purpose of utilisation of ash or ash products, shall inform the thermal power plant accordingly, if they cannot use any ash or ash products or use reduced quantity.

E. Enforcement, Monitoring, Audit and Reporting.—

- (1) The Central Pollution Control Board (CPCB) and the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) shall be the enforcing and monitoring authority for ensuring compliance of the provisions and shall monitor the utilisation of ash on quarterly basis. Central Pollution Control Board shall develop a portal for the purpose within six months of date of publication of the notification. The concerned District Magistrate shall have concurrent jurisdiction for enforcement and monitoring of the provisions of this notification.
- (2) (i) Thermal power plants shall upload monthly information regarding ash generation and utilisation by 5th of the next month on the web portal. Annual implementation report (for the period 1st April to 31st March) providing information about the compliance of provisions in this notification shall be submitted by the 30th day of April, every year to the Central Pollution Control Board, concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee (PCC), Central Electricity Authority (CEA), and concerned Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change by the coal or lignite based thermal power plants. Central Pollution Control Board and Central Electricity Authority shall compile the annual reports submitted by all the thermal power plants and submit to Ministry of Environment, Forest and Climate Change by 31st May.
 - (ii) All other user agencies shall submit consumption or utilisation or disposal of ash and use of ash based products as mandated in this notification in the compliance report of Environmental Clearance (EC) issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change or State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) or Consent to Operate (CTO) issued by State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC), whichever is applicable. The Central Pollution Control Board (CPCB) or State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) shall publish annual report of ash utilisation of all other agencies except thermal power plants to review the effective implementation of the provisions of the notification.
- (3) For the purpose of monitoring the implementation of the provisions of this notification, a committee shall be constituted under the Chairperson, Central Pollution Control Board (CPCB), with members from Ministry of Power, Ministry of Coal, Ministry of Mines, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry Road Transportation and Highways, Department of Heavy Industry as well as any concerned stakeholder(s), to be nominated by the Chairman of the committee. The committee may make recommendations for effective and efficient implementation of the provisions of the notification. The committee shall meet at least once in six months and review annual implementation reports and the committee shall also hold stakeholder consultations for monitoring of ash utilisation as mandated by this notification by inviting relevant stakeholder(s) at least once in six months. The committee shall submit the six monthly report to Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC).

- (4) For the purpose of resolving disputes between thermal power plants and users of ash or manufacturer of ash based products, the State Governments or Union territory administration constitute a Committee within three months from the date of publication of this notification under the Chairman, State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) with representatives from Department of Power, and one representative from the Department which deals with the subject of concerned agency with which dispute is made.
- (5) The compliance audit for ash disposal by the thermal power plants and the user agency shall be conducted by auditors, authorised by Central Pollution Control Board (CPCB) and audit report shall be submitted to Central Pollution Control Board (CPCB) and concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) by 30th November every year. Central Pollution Control Board (CPCB) and concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) shall initiate action against non-compliant thermal power plants within fifteen days of receipt of audit report.

[F. No. HSM-9/1/2019-HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

AnnexureAsh Compliance Report (for the period 1st April-31st March) to be submitted on or before 31st May.

Sl. No.	Details	
1.	Name of Power Plant	
2.	Name of the company	
3.	District	
4.	State	
5.	Postal address for communication:	
6.	E-mail:	
7.	Power Plant installed capacity (MW):	
8.	Plant Load Factor (PLF):	
9.	No. of units generated (MWh):	
10.	Total area under power plant (ha): (including area under ash ponds)	
11.	Quantity of coal consumption during reporting period (Metric Tons per Annum):	
12.	Average ash content in percentage (per cent):	
13.	Quantity of current ash generation during reporting period (Metric Tons per Annum): Fly ash (Metric Tons per Annum): Bottom ash (Metric Tons per Annum):	
14.	Capacity of dry fly ash storage silo(s) (Metric Tons) :	
15.	Details of utilisation of current ash generated during reporting period (a) Total quantity of current ash utilised (MTPA) during reporting period: (b) Quantity of fly ash utilised (MTPA): (i) Fly ash based products (bricks or blocks or tiles or fibre cement sheets or pipes or boards or panels) (ii) Cement manufacturing:	

	<ul style="list-style-type: none"> (iii) Ready mix concrete: (iv) Ash and Geo-polymer based construction material: (v) Manufacturing of sintered or cold bonded ash aggregate: (vi) Construction of roads, road and fly over embankment: (vii) Construction of dams: (viii) Filling up of low lying area: (ix) Filling of mine voids: (x) Use in overburden dumps: (xi) Agriculture: (xii) Construction of shoreline protection structures in coastal districts; (xiii) Export of ash to other countries: (xiv) Others (please specify): <p>(c) Quantity of bottom ash utilised (MTPA):</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Fly ash based products (bricks or blocks or tiles or fibre cement sheets or pipes or boards or panels): (ii) Cement manufacturing: (iii) Ready mix concrete: (iv) Ash and Geo-polymer based construction material: (v) Manufacturing of sintered or cold bonded ash aggregate: (vi) Construction of roads, road and flyover embankment: (vii) Construction of dams: (viii) Filling up of low lying area: (ix) Filling of mine voids: (x) Use in overburden dumps: (xi) Agriculture: (xii) Construction of shoreline protection structures in coastal districts: (xiii) Export of ash to other countries: (xiv) Others (please specify): <p>Total quantity of current ash unutilised (MTPA) during reporting period:</p>	
16.	Percentage utilisation of current ash generated during reporting period (per cent):	
17.	<p>Details of disposal of ash in ash ponds</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Total quantity of ash disposed in ash pond(s) (Metric Tons) as on 31st March (excluding reporting period): (b) Quantity of ash disposed in ash pond(s) during reporting period (Metric Tons): (c) Total quantity of water consumption for slurry discharge into ash ponds during reporting period (m³): (d) Total number of ash ponds: <ul style="list-style-type: none"> (i) Active: (ii) Exhausted (yet to be reclaimed): (iii) Reclaimed: (e) total area under ash ponds (ha): 	
18.	<p>Individual ash pond details</p> <p><i>Ash pond-1,2, etc (please provide below mentioned details separately, if number of ash ponds is more than one)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Status: Under construction or Active or Exhausted or 	

	<p>Reclaimed</p> <p>(b) Date of start of ash disposal in ash pond (DD/MM/YYYY or MMYYYY):</p> <p>(c) Date of stoppage of ash disposal in ash pond after completing its capacity (DD/MM/YYYY or MM/YYYY): (Not applicable for active ash ponds)</p> <p>(c) area (hectares):</p> <p>(d) dyke height (m):</p> <p>(d) volume (m³):</p> <p>(e) quantity of ash disposed as on 31st March (Metric Tons):</p> <p>(f) available volume in percentage (per cent) and quantity of ash can be further disposed (Metric Tons):</p> <p>(g) expected life of ash pond (number of years and months):</p> <p>(e) co-ordinates (Lat and Long): (please specify minimum 4 co-ordinates)</p> <p>(f) type of lining carried in ash pond: HDPE lining or LDPE lining or clay lining or No lining</p> <p>g) mode of disposal: Dry disposal or wet slurry (in case of wet slurry please specify whether HCSD or MCSD or LCSD)</p> <p>(h) Ratio of ash: water in slurry mix (1:___):</p> <p>(i) Ash water recycling system (AWRS) installed and functioning: Yes or No</p> <p>(j) Quantity of wastewater from ash pond discharged into land or water body (m3):</p> <p>(k) Last date when the dyke stability study was conducted and name of the organisation who conducted the study:</p> <p>(l) Last date when the audit was conducted and name of the organisation who conducted the audit:</p>									
19.	<p>Quantity of legacy ash utilised (MTPA):</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Fly ash based products (bricks or blocks or tiles or fibre cement sheets or pipes or boards or panels): ii. Cement manufacturing: iii. Ready mix concrete: iv. Ash and Geo-polymer based construction material: v. Manufacturing of sintered or cold bonded ash aggregate: vi. Construction of roads, road and flyover embankment: vii. Construction of dams: viii. Filling up of low lying area: ix. Filling of mine voids: x. Use in overburden dumps: xi. Agriculture: xii. Construction of shoreline protection structures in coastal districts; xiii. Export of ash to other countries: xiv. Others (please specify): 									
20.	<table border="1"> <tr> <td colspan="4" data-bbox="268 1935 1433 1980">Summary:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="268 1980 568 2054">Details</td> <td data-bbox="568 1980 868 2054">Quantity generated (MTP)</td> <td data-bbox="868 1980 1152 2054">Quantity utilised (MTP) and (per cent)</td> <td data-bbox="1152 1980 1433 2054">Balance quantity (MTP)</td> </tr> </table>	Summary:				Details	Quantity generated (MTP)	Quantity utilised (MTP) and (per cent)	Balance quantity (MTP)	
Summary:										
Details	Quantity generated (MTP)	Quantity utilised (MTP) and (per cent)	Balance quantity (MTP)							

	Current ash during reporting period			
	Legacy ash			
	Total			
21.	Any other information: Soft copy of the annual compliance report, and shape files of power plant and ash ponds may be e-mailed to:- moefcc-coalash@gov.in			
22.	Signature of Authorised Signatory			



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 30122022-241524
CG-DL-E-30122022-241524

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5926]
No. 5926]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6169(अ).—पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप खंड (ii) का.आ. 5481(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2021 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी (जिन्हें इसमें इसके पश्चात इसे राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना कहा गया है);

और, राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में विद्युत मंत्रालय, ताप विद्युत संयंत्रों और विभिन्न हितधारकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

और, राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना के कार्यान्वयन में सुचारू परिवर्तन लाने हेतु उक्त अधिसूचना के कतिपय उपबंधों में संशोधन लाना उचित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (1), (2) और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी राख के उपयोग संबंधी अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

जारी राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना में संशोधन –

1. पैरा क में, -

(i) उप पैरा क (4) में, तीसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :

“परन्तु, यह भी कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को अथवा उसके पश्चात् स्थापित नए ताप विद्युत संयंत्र सारणी में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रतिशत से कम ताप विद्युत संयंत्रों के लिए विनिर्दिष्ट अनुपालन चक्र के समान प्रथम अनुपालन चक्र का अनुसरण करेंगे।

टिप्पण : लागू अनुपालन चक्र के अनुसार उपयोग के लक्ष्य 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।”

(ii) उप पैरा 5 में, -

(क) आरंभिक पैरा में, “इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख” शब्दों के स्थान पर “1 अप्रैल, 2022” उक्त अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दूसरे परंतुक में, -

(i) “हरित पट्टी या पौधरोपण” के पश्चात, “या उप पैरा (6) में यथा विनिर्दिष्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सौर ऊर्जा संभव या पवन ऊर्जा संयंत्र” शब्द कोष्ठकों और अक्षरों को अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) “केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) या” शब्द कोष्ठक और अक्षर हटा दिया जाएगा।

(iii) “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर “तीन वर्ष” शब्दों को रखा जाएगा।

(iv) “इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख” शब्दों के स्थान पर “1 अप्रैल, 2022” उक्त अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(ग) दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित उपलब्ध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“परंतु कि पैरा क (6) में यथाविनिर्दिष्ट राख के अस्थायी भंडारण हेतु अभिहित किए गए संचालित राख कुंड या डाइक के सिवाय सभी राख कुंडों या डाइक में संग्रहीत राख में पुरानी राख एकत्रित होगी और या तो इसे पुनःप्राप्त या स्थिर या उपयोग करना होगा।”

(iii) उप पैरा (6) के स्थान, उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:

“(6) किसी भी नए और साथ ही चालू थर्मल पावर प्लांट को 0.1 हेक्टेयर प्रति मेगा वाट (मेगावाट) के क्षेत्र में राख के अस्थायी भंडारण के लिए परिचालन राख तालाब या डाइक की अनुमति दी जा सकती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से बनाए गए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिचालन के साथ-साथ स्थिर और पुनः दावा किए गए राख तालाबों या बांधों की तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार होंगे और ये दिशानिर्देश वार्षिक प्रमाणन के लिए एक प्रक्रिया भी निर्धारित करेंगे। परिचालन के साथ-साथ राख तालाब या डाइक को उसकी सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, उपलब्ध मात्रा, निपटान के तरीके, पानी की खपत या निपटान में संरक्षण, राख जल पुनर्चक्रण और हरित पट्टी, आदि पर परिचालन के साथ-साथ स्थिर और पुनः प्राप्त किया जाएगा और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने भीतर रखा जाएगा :

परंतु कि 31 दिसंबर, 2021 से पहले चालू किए गए ताप विद्युत संयंत्रों के लिए 1600 मेगावाट से कम या उसके बराबर स्थापित क्षमता वाले दो परिचालन राख तालाबों या डाइकों तक और 1600 से अधिक स्थापित क्षमता वाले ताप विद्युत संयंत्रों के लिए चार परिचालन राख तालाबों या बांधों तक MW, मौजूदा राख तालाबों या बांधों से निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर कई लैगून होने पर, निर्देशांक के साथ स्पष्ट सीमांकन के साथ नामित किया जा सकता है, और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण को सूचित करेगा। नियंत्रण समिति (पीसीसी) 31 मार्च, 2023 तक :

परंतु आगे कि नए थर्मल पावर प्लांट या मौजूदा थर्मल पावर प्लांट के विस्तार के मामले में केवल एक ऐश पॉड या डाइक की अनुमति दी जाएगी 31 दिसंबर, 2021 को या उसके बाद, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को कमीशन की तारीख से 3 महीने के भीतर निर्देशांक के साथ सीमांकन के विवरण की सूचना देगा। थर्मल पावर प्लांट या 31 मार्च, 2023 तक, जो भी बाद में हो :

परंतु यह और कि कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों को आगे किसी भी नए कार्यशील राख कुंड या डाइक को स्थापित करने या नाम निर्दिष्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परंतु यह और कि कार्यशील राख कुंड या डाइक की 0.1 हे./मेगावॉट (एमडब्ल्यू) का विनिर्देशन तारीख 3 नवम्बर, 2009 से पूर्व चालू तापीय विद्युत संयंत्रों पर लागू नहीं होंगे।”

2. पैरा ख में, -

(i) उप पैरा (1) में, “300 कि.मी. के भीतर” शब्दों कोष्ठकों और आंकड़ों के स्थान पर “300 कि.मी. के रेडियस के भीतर” शब्द कोष्ठक और आंकड़े रखे जाएंगे।

(ii) उप पैरा (8) में, उच्चतर “वैकल्पिक उत्पादों के मूल्य से अधिक” शब्दों के स्थान पर “केन्द्रीय लोक कार्य विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) या संबंधित लोक कार्य विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा विनिर्दिष्ट दरों की अनुसूची में उल्लिखित मूल्य या दरों की अनुसूची के अधीन निर्धारित न होने परल वैकल्पिक उत्पादों का मूल्य” शब्द रखे जाएंगे।

3. पैरा घ में, -

(i) उप पैरा (2) के स्थान, उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:

“(2) जिन व्यक्तियों या उपयोगकर्ता या एजेंसियों को थर्मल पावर प्लांट के मालिक द्वारा नोटिस दिया गया है, अगर वे राख के उपयोग के उद्देश्य से पहले से ही अन्य एजेंसियों के साथ करार कर चुके हैं तो थर्मल पावर प्लांट को तदनुसार सूचित करेंगे और यदि वे उपयोग नहीं कर सकते हैं कोई राख या कम मात्रा का उपयोग कर सकता है।”

(ii) उप-पैरा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(3) जिन व्यक्तियों या उपभोक्ता अभिकरणों को, यदि वे राख आधारित उत्पादों के उपयोग के उद्देश्य से अन्य अभिकरणों के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, ऐश ब्रिक्स या टाइल्स या सिंटेड ऐश ऐग्रीगेट या अन्य राख आधारित उत्पादों के विनिर्माताओं के द्वारा नोटिस दिया गया है तो उन्हें ऐश ब्रिक्स या आइल्स या सिंटेड ऐश ऐग्रीगेट या अन्य राख आधारित उत्पादों के विनिर्माताओं को सूचित करना होगा, तदनुसार, यदि वे राख आधारित उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकते या कम प्रमात्रा में उपयोग कर सकते हैं।”

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एचएसएम - 9/1/2019- एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) सं. एस 5481(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2021 के द्वारा में प्रकाशित की गई।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2022

S.O. 6169(E).—Whereas, the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* S.O.5481(E), dated the 31st December, 2021 (herein after referred to as the ash utilisation notification);

And whereas, requests have been received from Ministry of Power, thermal power plants and various stakeholders regarding implementation of provisions of the ash utilisation notification;

And whereas, it is expedient to make amendments to certain provisions of the said notification to have smooth transitioning in implementation of the ash utilisation notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with of sub-rule (1), (2) and (4) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the ash utilisation notification namely:-

In the ash utilisation notification,-

(1) in paragraph A,-

(i) in sub-paragraph (4), after the third proviso, the following shall be inserted, namely,-

“Provided also that new thermal power plants commissioned on or after the date of publication of this notification shall follow the first compliance cycle similar to the compliance cycle specified for thermal power plants having utilisation per cent. less than 60 per cent. as specified in the table.

Note: The utilisation targets as per the applicable compliance cycle shall commence from 1st April, 2022.”.

(ii) in sub- paragraph (5),-

(a) in the opening paragraph, for the words “the date of publication of this notification”, the figures, letters and word “1st April, 2022” shall be substituted;

(b) in the second proviso, -

(i) after the words “green belt or plantation”, the words, brackets, letters and figure “or solar power plant or wind power plant as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board (CPCB) as specified in sub-para (6)” shall be inserted,

(ii) the words, brackets and letters “Central Pollution Control Board (CPCB) or” shall be deleted,

(iii) for the words “a year”, the words “three years” shall be substituted,

(iv) for the words “the date of publication of this notification”, the figures, letters and word “1st April, 2022” shall be substituted.

(c) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:

“Provided that ash stored in all ash ponds or dykes other than operational ash pond or dyke designated for temporary storage of ash as specified in sub-para (6) shall constitute the legacy ash and either to be reclaimed or stabilised or utilised.”.

(iii) for sub- paragraph (6), the following sub-para shall be substituted, namely,-

“(6) Any new as well as operational thermal power plant may be permitted operational ash pond or dyke for temporary storage of ash within an area of 0.1 hectare per Mega Watt (MW). Technical specifications of operational as well as stabilised and reclaimed ash ponds or dykes shall be as per the guidelines of the Central Pollution Control Board (CPCB) made in consultation with the Central Electricity Authority (CEA) and these guidelines shall also lay down a procedure for annual certification of the operational as well as stabilised and reclaimed ash pond or dyke on its safety, environment pollution, available volume, mode of disposal, water consumption or conservation in disposal, ash water recycling and green belt, etc. and shall be put in place within three months from the date of publication of this notification:

Provided that up to two operational ash ponds or dykes for thermal power plants commissioned before 31st December, 2021, having installed capacity less than or equal to 1600 MW, and up to four operational ash ponds or dykes for thermal power plants having installed capacity more than 1600 MW, having multiple lagoons, within the specified area from the existing ash ponds or dykes, may be designated with clear demarcation along with coordinates, and shall inform to Central Pollution Control Board (CPCB) and concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) by 31st March, 2023:

Provided further that one ash pond or dyke shall be permitted in case of new thermal power plants or expansion of existing thermal power plants commissioned on or after 31st December, 2021, which shall inform the details of demarcation along with coordinates to Central Pollution Control Board (CPCB) and concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) within 3 months from the date of commissioning of thermal power plant or by 31st March, 2023, whichever is later:

Provided also that coal and lignite based thermal power plants shall not be allowed to further establish or designate any new operational ash pond or dyke:

Provided also that specification of 0.1 hectare per Mega Watt (MW) of an operational ash pond or dyke shall not be applicable for the thermal power plants commissioned before 03rd November, 2009.”.

(2) in paragraph B,-

(i) in sub- paragraph (1), for the words, figures and letters “within 300 kms”, the words, figures and letters “within a radius of 300 kms” shall be substituted,

(ii) in sub- paragraph (8), for the words “higher than the price of alternative products”, the words, brackets and letters “more than the price mentioned in the Schedule of Rates as specified by Central Public Works Department (CPWD) or concerned Public Works Department (PWD) or price of alternative products, if not mentioned in the Schedule of Rates.” shall be substituted.

(3) in paragraph -D, -

(i) for sub- paragraph (2), the following sub- paragraph shall be substituted, namely,-

“(2) Persons or user agencies who have been served notice by owner of thermal power plants, if they have already tied up with other agencies for the purpose of utilisation of ash, shall inform the thermal power plant accordingly, and if they cannot use any ash or may use reduced quantity.”.

(ii) after sub- paragraph (2), the following sub-para shall be inserted, namely,-

“(3) Persons or user agencies who have been served notice by manufacturers of ash bricks or tiles or sintered ash aggregate or other ash based products, if they have already tied up with other agencies for the purpose of utilisation of ash based products, shall inform the manufacturer of ash bricks or tiles or sintered ash aggregate or other ash based products, accordingly, and if they cannot use ash based products, or may use reduced quantity.”.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. HSM-9/1/2019-HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st December, 2021, *vide* number S.O.5481 (E), dated the 31st December, 2021.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012024-251028
CG-DL-E-01012024-251028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 2024/पौष 11, 1945

No. 05]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 2024/PAUSHA 11, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2024

का.आ. 05(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित संख्या का. आ. 5481(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2021 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में विद्युत मंत्रालय और अन्य हितधारकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

और, पर्यावरण-अनुकूल उद्देश्यों के लिए राख के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उक्त अधिसूचना के कुछ उपबंधों में संशोधन करना समीचीन है, जिसमें राख-आधारित उत्पाद निर्माण में लगे सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा निर्मित राख-आधारित उत्पादों में राख का उपयोग सम्मिलित है;

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (1), उप-नियम (2) और उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना के,-

(1) पैरा ख में,-

(i) उप-पैरा (1) में, दोनों परंतुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट ने ऐसी एजेंसियों को राख उपलब्ध कराने के लिए नोटिस दिया हो, जिसके लिए राख और परिवहन की लागत कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट द्वारा वहन की जाएगी।"

(ii) उप-पैरा (8) में, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट से 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी भवन निर्माण परियोजनाएं (केंद्रीय, राज्य और स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी उपक्रम, अन्य सरकारी एजेंसियां और सभी निजी एजेंसियां) राख की ईंटों, टाइल्स, सिंटेड राख समुच्चय या अन्य राख आधारित उत्पाद का उपयोग करेंगी, परन्तु इन्हें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) या संबंधित राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा निर्दिष्ट दरों की अनुसूची में उल्लिखित कीमत से अनधिक कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा या दरों की अनुसूची के आधीन निर्धारित न होने पर वैकल्पिक उत्पादों के मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा।

परंतु केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और संबंधित राज्य के लोक निर्माण विभाग 01 जनवरी, 2024 से छह महीने के भीतर निर्दिष्ट दरों की अनुसूची प्रकाशित करेंगे।"

(iii) उप-पैरा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(10) सभी स्थानीय प्राधिकरण राख और राख-आधारित उत्पादों अर्थात् इमारतों, सड़कों, तटबंधों या किसी अन्य संबंधित निर्माण गतिविधि के निर्माण में ईंटें, ब्लॉक, टाइलें, सिंटेड या कोल्ड बॉन्डेड राख समुच्चय, फाइबर सीमेंट शीट, पाइप, बोर्ड, पैनल के उपयोग के लिए अपने संबंधित भवन उपनियमों और अन्य सुसंगत विनियमों में उपबंध करेंगे।"

(2) पैरा घ में,-

(i) पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

"(1) ताप विद्युत संयंत्रों के मालिक उन व्यक्तियों या एजेंसियों को, जिन्हें पैरा ख के उप-पैरा (1) और (3) के अधीन राख का उपयोग करने की आवश्यकता है, परिवहन की लागत को वहन करते हुए राख की मुफ्त आपूर्ति करने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक प्रति के साथ एक लिखित नोटिस देंगे।

(1क) राख की ईंटों या टाइलों या सिंटेड राख समुच्चय या अन्य राख-आधारित उत्पादों के निर्माता उन व्यक्तियों या एजेंसियों को जिन्हें पेशकश के लिए पैरा ख के उप-पैरा (8) के अधीन राख-आधारित उत्पादों का उपयोग करना आवश्यक है, ऐसे उत्पादों की बिक्री के लिए एक लिखित नोटिस देने सहित संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उसकी एक प्रति देंगे।"

(ii) उप-पैरा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(4) कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट इस अधिसूचना के अधीन राख का उपयोग करते समय, राख का एक निश्चित प्रतिशत राख आधारित उत्पादों अर्थात् ईंटों, ब्लॉकों, टाइलों, सिंटेड या कोल्ड बॉन्डेड राख समुच्चय, फाइबर सीमेंट शीट, पाइप, बोर्ड, पैनल के निर्माण में लगे सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार रियायती मूल्य पर या सीमित नीलामी के माध्यम से आपूर्ति के लिए आरक्षित रखेंगे।"

[फा. सं. 09/01/2019-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 5481 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्या का.आ. 6169 (अ) दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2024

S.O. 05(E).—Whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O.5481(E), dated the 31st December, 2021;

AND WHEREAS, requests have been received from Ministry of Power and other stakeholders regarding implementation of provisions of the said notification;

AND WHEREAS, it is expedient to amend certain provisions of the said notification to promote use of ash for eco-friendly purposes, including use of ash in ash-based products manufactured by micro and small enterprises engaged in ash-based product manufacturing;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with of sub-rule (1), (2) and (4) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the ash utilisation notification, namely:-

In the ash utilisation notification,-

(1) In paragraph B,-

(i) in sub-paragraph (1), for both the provisos, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that the coal or lignite based thermal power plant has given a notice to such agencies for making available ash to such agencies for which cost of ash and transportation shall be borne by the coal or lignite based thermal power plant.”

(ii) in sub-paragraph (8), the following shall be substituted, namely:

“All building construction projects (Central, State and Local authorities, Govt. undertakings, other Govt. agencies and all private agencies) located within a radius of 300 kms from a coal or lignite based thermal power plant shall use ash bricks, tiles, sintered ash aggregate or other ash based products, provided these are made available at prices not more than the price mentioned in the Schedule of Rates as specified by the Central Public Works Department (CPWD) or Public Works Department (PWD) of the State concerned or price of alternative products, if not mentioned in the Schedule of Rates.

That the Central Public Works Department and Public Works Department of the State concerned shall publish the Schedule of Rates specified within six months from the 1st January, 2024.”

(iii) after sub-paragraph (9), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:

“(10) All local authorities shall make provisions in their respective building bye-laws and other relevant regulations for the use of ash and ash-based products, such as bricks, blocks, tiles, sintered or cold bonded ash aggregates, fibre cement sheets, pipes, boards, panels in construction of buildings, roads, embankments or for any other related construction activity.”

(2) In paragraph D,-

(i) for paragraph (1), the following shall be substituted, namely:

“(1) The owner of thermal power plants shall give a written notice to persons or agencies who are required to utilise ash under sub-paragraph (1) & (3) of paragraph B for offering the supply of ash free of cost and bearing cost of transportation, with a copy to concerned State Pollution Control Board.

(1A) The manufacturers of ash bricks or tiles or sintered ash aggregate or other ash-based products shall give a written notice to persons or agencies who are required to utilise ash-based products under sub-paragraph (8) of paragraph B for offering for sale of such products with a copy to concerned State Pollution Control Board.”

(ii) after sub-paragraph (3), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:

“(4) The coal or lignite based thermal power plants, while utilising ash under this notification shall reserve certain percentage of ash for supply to all micro and small enterprises engaged in ash-based product manufacturing namely, bricks, blocks, tiles, sintered or cold bonded ash aggregates, fibre

cement sheets, pipes, boards, panels for sale at concessional price or through limited auction in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Power.”

[F. No. 09/01/2019-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.5481 (E), dated the 31st December, 2021 and last amended, *vide* number S.O. 6169 (E) dated the 30th December, 2022.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042021-226711
CG-DL-E-22042021-226711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 22, 2021/वैशाख 2, 1943

No. 227]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 22, 2021/VAISAKHA 2, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल 2021

सा.का.नि. 285(अ).—पूर्व के पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 14 सितम्बर, 1999 की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना सं. का.आ. 763 (अ), द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से तीन सौ किलोमीटर के विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर ईंटों के विनिर्माण के लिए ऊपरी मिट्टी की खुदाई पर प्रतिबंध लगाने तथा निर्माण सामग्री के विनिर्माण में और निर्माण कार्यकलाप में फ्लाई-ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु निदेश जारी किए गए थे;

और, प्रदूषणकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान (पीपीपी) के सिद्धांत के आधार पर, ऐसा करके कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई-ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित करते हुए और फ्लाई-ऐश प्रबंधन प्रणाली की संधारणीयता के लिए इन अधिसूचनाओं को और अधिक प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु, केंद्रीय सरकार ने मौजूदा अधिसूचनाओं की समीक्षा की; और प्रदूषणकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान के सिद्धांत के आधार पर, जुर्माना/दण्ड निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है;

और, विनिर्माण को बढ़ावा देकर तथा निर्माण कार्य के क्षेत्र में राख आधारित उत्पादों तथा निर्माण सामग्रियों के प्रयोग को अनिवार्य करके सतही मिट्टी को संरक्षित करने की आवश्यकता है;

और, सड़क बनाने, सड़क एवं फ्लाई ओवर के रेलिंग बनाने, तटरेखा की सुरक्षा का उपाय करने, अनुमोदित परियोजनाओं के निचले क्षेत्रों को भरने, खनित स्थलों को फिर से भरने में मिट्टी की सामग्रियों से भरने के विकल्प के रूप में राख उपयोग को बढ़ावा देकर सतही मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता है;

और, पर्यावरण को सुरक्षित करना तथा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से सृजित फ्लाई ऐश के निक्षेपण तथा निपटान की रोकथाम करना आवश्यक है;

और, अधिसूचना में जो 'राख' शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से सृजित फ्लाई-ऐश और बॉटम-ऐश दोनों शामिल हैं;

और, केंद्रीय सरकार प्रदूषणकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान के सिद्धांत के आधार पर, दण्डों/जुर्मानों की प्रणाली सहित राख के उपयोग के लिए एक व्यापक ढांचा लाना चाहती है;

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 14 सितम्बर, 1999 की फ्लाई-ऐश अधिसूचना सं. का.आ. 763 (अ) और उसमें किए गए परवर्ती संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा अब इससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों के सूचनार्थ राख के उपयोग के संबंध में एक अधिसूचना प्रस्तावित की गई है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर सरकारी राजपत्र में प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि पूरा होने की तारीख को या उस अवधि के समाप्त होने के उपरांत विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव, एचएसएमडी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 के पते पर भेजे जा सकते हैं, और ई-मेल आईडी : moefcc.coalash@gov.in पर प्रेषित किए जा सकते हैं।

प्रारूप अधिसूचना

क. फ्लाई-ऐश और बॉटम-ऐश का निपटान करने हेतु ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के उत्तरदायित्व:

1. प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र (जिनमें कैप्टिव और/या सह-उत्पादन केंद्र शामिल हैं) की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह अपने द्वारा सृजित राख (फ्लाई-ऐश और बॉटम-ऐश) का नीचे अनुच्छेद में दिए गए पारि-अनुकूल तरीके से 100% उपयोग सुनिश्चित करे।
2. कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से सृजित राख का उपयोग केवल निम्नलिखित पारि-अनुकूल प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:
 - i. ईट/ब्लॉक/टाइल का विनिर्माण;
 - ii. सीमेंट विनिर्माण, रेडी-मिक्स कंक्रीट;
 - iii. सड़क निर्माण और फ्लाई-ओवर के रेलिंग का निर्माण, राख और जिओ-पॉलीमर आधारित निर्माण सामग्री;
 - iv. बांध का निर्माण;
 - v. निचले क्षेत्र को भरना;
 - vi. खनन कार्य से रिक्त हुए स्थान को भरना;

- vii. सिंटेड/शीत-बद्ध राख संचय का विनिर्माण;
- viii. मृदा परीक्षण के आधार पर नियंत्रित तरीके से कृषि;
- ix. तटीय जिलों में तटरेखा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण;
- x. अन्य देशों को राख का निर्यात;
- xi. समय-समय पर यथाधिसूचित किसी अन्य पारि-अनुकूल प्रयोजन के लिए।
3. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, सड़क कांग्रेस संस्थान तथा राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राख के उपयोग के पारि-अनुकूल तौर-तरीकों की जांच करना, उनकी समीक्षा एवं अनुशंसा करना तथा प्रौद्योगिकीय विकासों तथा हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर पैरा क(2) में यथोल्लिखित ऐसे तौर-तरीकों की सूची में समिति द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों को शामिल करना/किसी तौर-तरीके को सूची से हटाना/उसमें संशोधन करना है। जब भी इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, यह समिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समिति, ताप विद्युत संयंत्र और खानों के प्रचालकों को आमंत्रित कर सकती है। इस समिति सिफारिश के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऐसे पारि-अनुकूल प्रयोजन प्रकाशित करेगा।
4. प्रत्येक कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र उस वर्ष के दौरान सृजित राख (फ्लाई-ऐश और बॉटम-ऐश) का 100% उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होगा। तथापि, किसी भी स्थिति में, किसी वर्ष में राख का उपयोग 80% से नीचे नहीं होगा। साथ ही, उसे 3 वर्ष की अवधि में 100% औसत राख उपयोग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए।

परन्तु, पहली बार के लिए लागू तीन वर्ष की अवधि को ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों, जहां राख का उपयोग 60-80% के बीच होता है, हेतु एक वर्ष के लिए और ऐसे संयंत्रों, जहां राख का उपयोग 60% से कम है, हेतु दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राख के उपयोग की प्रतिशतता की गणना के लिए वर्ष 2021-22 में उपयोग की प्रतिशत प्रमात्रा को ध्यान में रखा जाएगा। इसका ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

तापीय विद्युत संयंत्रों के उपयोग की प्रतिशतता	100% उपयोगिता प्राप्त करने के लिए प्रथम अनुपालन चक्र	100% उपयोगिता प्राप्त करने के लिए द्वितीय अनुपालन चक्र
>80%	3 वर्ष	3 वर्ष
60-80%	4 वर्ष	3 वर्ष
<60%	5 वर्ष	3 वर्ष

परन्तु, तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए 80% न्यूनतम उपयोग प्रतिशतता, क्रमशः 60-80% और <60% की उपयोगिता की श्रेणी के तहत आने वाले ताप विद्युत संयंत्रों के लिए प्रथम अनुपालन चक्र के पहले वर्ष और पहले दो वर्षों पर लागू नहीं है।

परन्तु, अनुपालन चक्र के अंतिम वर्ष में सृजित 20% राख को अगले चक्र में ले जाया जाएगा जिसका उपयोग उस अनुपालन चक्र के दौरान सृजित राख के साथ अगले 3 वर्षों में किया जाएगा।

5. अप्रयुक्त संचित राख अर्थात् लीगेसी ऐश, जिसका इस अधिसूचना के प्रकाशन से पहले भंडारण किया गया है, को तापीय विद्युत संयंत्र (टीपीपी) द्वारा इस रीति से क्रमिक रूप से उपयोग में लाया जाएगा, कि

लीगेसी ऐश को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 10 वर्षों के भीतर पूरी तरह उपयोग कर लिया जाएगा। यह उस विशिष्ट वर्ष के चालू संचालनों के माध्यम से राख उत्सर्जन के लिए निर्धारित उपयोग लक्ष्यों से अतिरिक्त होगा।

परन्तु, निम्नलिखित प्रतिशतताओं में यथा उल्लिखित लीगेसी ऐश की न्यूनतम मात्रा का उपयोग संगत वर्ष के दौरान कर लिया जाएगा। लीगेसी ऐश की न्यूनतम प्रमात्रा की गणना टीपीपी की संस्थापित क्षमता के अनुसार वार्षिक राख उत्सर्जन के आधार पर की जानी है।

प्रकाशन की तिथि से वर्ष	पहला	दूसरा	तीसरा-दसवां
लीगेसी ऐश का उपयोग (वार्षिक राख की प्रतिशतता)	कम से कम 20%	कम से कम 35%	कम से कम 50%

परन्तु, लीगेसी ऐश का उपयोग वहां अपेक्षित नहीं है, जहां राख के कुंड/डाइक स्थिर हो गए हैं और हरित पट्टी के निर्माण/पौध रोपण से पुनरुद्धार किया गया है। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस संबंध में प्रमाणित करेगा। किसी राख तालाब/डाइक के स्थिरीकरण और भूमि-उद्धार का कार्य, जिसमें सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा प्रमाणन शामिल है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाएगा। अन्य सभी राख तालाबों/डाइकों में शेष बचे राख का उपयोग ऊपर उल्लिखित समय-सीमाओं के अनुसार क्रमिक रूप से किया जाएगा।

राख के उपयोग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पैरा क(4) और क(5) के तहत दायित्व 01 अप्रैल, 2022 की तारीख से लागू होंगे।

6. किसी भी नए तापीय विद्युत संयंत्र (टीपीपी) में 0.1 हेक्टेयर प्रति एमडब्ल्यू क्षेत्रफल के साथ आपातकालीन/अस्थायी राख कुंड की अनुमति दी जा सकती है। राख के कुंडों/ डाइकों का तकनीकी विनिर्देश, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श से सीपीसीबी द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। ये दिशानिर्देश राख के कुंड/डाइक के संबंध में इसकी सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रदूषण, उपलब्ध प्रमात्रा, निपटान का तरीका, निपटान में जल की खपत/संरक्षण, राख जल पुनर्चक्रण और ग्रीन बेल्ट आदि के वार्षिक प्रमाणन के लिए कार्यविधि भी निर्धारित करेंगे और अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 3 महीनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे।
7. प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि राख की लदाई, उतराई, ढुलाई, भंडारण और निपटान पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल रीति से किया गया है और वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए सभी ऐहियात किए गए हैं। इस संबंध में स्थिति की सूचना प्रपत्र-क में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीएसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को दी जाएगी।
8. प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, संस्थापित क्षमता पर आधारित राख के कम से कम 16 घंटों के भंडारण के लिए समर्पित शुष्क फ्लाइऐश साइलोस प्रतिष्ठापित करेगा, जिनके पास पृथक पहुंच मार्ग होंगे, जिससे कि राख पहुंचाने के कार्य को सुगम बनाया जा सके। इसकी सूचना संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रपत्र-क में दी जाएगी और सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा।
9. प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र (जिसके अंतर्गत कैप्टिव और/या सह उत्पादन केन्द्र भी है), वास्तविक उपयोगकर्ता (कर्ताओं) के हित के लिए सीपीसीबी के वेब पोर्टल/मोबाइल फोन एप्प का लिंक उपलब्ध कराकर टीपीपी के पास राख की उपलब्धता के वास्तविक आंकड़े प्रदान करेगा।
10. राख के 100% उपयोग का वैधानिक दायित्व, जहां भी लागू हो, कानून में बदलाव के रूप में माना जाएगा।

ख. राख के उपयोग के प्रयोजनार्थ, अनुवर्ती पैराग्राफ लागू होंगे :

11. ऐसे सभी अभिकरण (सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी), जो सड़क विद्युत, सड़क और फ्लाई ओवर के किनारों, तटीय जिलों में तटरेखा की सुरक्षा संरचनाओं और लिग्नाईट/कोयला आधारित टीपीपी से 300 किमी के भीतर बांधों जैसे निर्माण संबंधी कार्यकलापों में लगे हुए हैं, इन कार्यकलापों में अनिवार्य रूप से राख का उपयोग करेंगे, बशर्ते कि इसको परियोजना स्थल पर निशुल्क पहुंचाया जाए और परिवहन लागत, ऐसे कोयला/लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा वहन की जाए। तथापि, यदि टीपीपी अन्य उपायों के माध्यम से राख का निपटान करने में समर्थ है और ये अभिकरण इसके लिए निवेदन करते हैं तो टीपीपी पारस्परिक सहमत हुई शर्तों के अनुसार राख की लागत और परिवहन के लिए शुल्क ले सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना लागत और बिना परिवहन शुल्क के राख उपलब्ध कराने का प्रावधान तभी लागू होगा यदि उसके लिए टीपीपी उस निर्माण अभिकरण को नोटिस जारी करता है।
12. उक्त कार्यकलापों में राख का उपयोग भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय रोड कांग्रेस, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभागों और अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा निर्धारित किए गए विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
13. तापीय विद्युत संयंत्र की 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर अवस्थित सभी खानों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के तहत खुली आवर्त खानों में राख का पृष्ठ भंडारण करना/अधिक भार के ढेरों के साथ राख का मिश्रण करना बाध्यकारी होगा। सभी खान के स्वामी/प्रचालक (चाहे सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हो) कोयला या लिग्नाईट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से 300 (तीन सौ) किलोमीटर (सड़क द्वारा) के भीतर, महानिदेशक, खान सुरक्षा (डीजीएमएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार ओवर बर्डन के बाह्य निक्षेप खान की बैकफिलिंग अथवा स्टोविंग (प्रचालित या छोड़ी गई खानों, जैसा भी मामला हो) के लिए उपयोग की गई सामग्रियों के भार-दर-भार के आधार पर कम से कम 25% राख को मिश्रित करने के लिए उपाय करेंगे, बशर्ते कि ऐसे तापीय विद्युत केन्द्र निशुल्क राख प्रदान करके और परिवहन की लागत को वहन करके या पारस्परिक सहमत हुई शर्तों पर लिए गए निर्णय के अनुसार लागत/परिवहन व्यवस्था करके राख की अपेक्षित मात्रा की उपलब्धता को सुकर बनायेंगे।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लागत मुक्त ऐश और निःशुल्क परिवहन का उपबंध केवल तभी लागू होगा यदि टीपीपी इसके लिए खान मालिक को नोटिस देता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिभार वाले ढेर के साथ मिश्रित करने और खान में खाली स्थान को भरने के लिए ऐश के 25% हिस्से के उपयोग का अधिदेश तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि टीपीपी द्वारा खान मालिक को नोटिस न दिया गया हो।
खानों के खाली स्थानों और ढेरों में अधिकभार के साथ ऐश को मिश्रित करना, सृजित अधिभार के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
उक्त कार्यकलापों में ऐश का उपयोग, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महानिदेशक, खान सुरक्षा और भारतीय खदान ब्यूरो द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
14. सभी खान मालिकों को खान में खाली स्थानों में ऐश को समायोजित करने के लिए संशोधित खान बंद योजना (प्रगामी और अंतिम) तैयार करनी होगी। खान में खाली स्थान में ऐश के निपटान और अधिभार वाले ढेर के साथ ऐश को मिश्रित करने के लिए खान योजनाओं को संबंधित प्राधिकारी अनुमोदित करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों और कोयला खदानों की पर्यावरणीय मंजूरी में संशोधन की आवश्यकता से छूट देने के साथ-साथ ऐसे निपटान के लिए अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों के संबंध में दिनांक 28 अगस्त, 2019 को दिशानिर्देश जारी किए गए। मंत्रालय, सीपीसीबी, डीजीएमएस और आईएमबी के साथ परामर्श करके, खानों में खाली स्थानों में ऐश के निपटान

करने तथा अधिभार वाले ढेरों में इसे मिश्रित करना सुगम बनाने के लिए समय-समय पर आगे भी दिशानिर्देश जारी कर सकता है। यह खान मालिकों की जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसी खानों को अभिज्ञात करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी की गई अनुमतियों में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन प्राप्त करेंगे।

15. पर्यावरणीय प्रदूषण के संदर्भ में सुरक्षा, व्यवहार्यता (आर्थिक व्यवहार्यता नहीं) और पहलुओं की जांच सहित ऐश से खान में खाली स्थान को वापस भरने/अधिभार वाले ढेर के साथ ऐश को मिश्रित करने के लिए खानों की पहचान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, महानिदेशक खान सुरक्षा और भारतीय खान ब्यूरो से प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए अध्यक्ष, सीपीसीबी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति हितधारक मंत्रालयों/विभागों के लिए अभिज्ञात खानों (भूमिगत और खुली, दोनों) के संबंध में तैयार की गई तिमाही रिपोर्टों को अद्यतन करेगी। यह समिति, इस अधिसूचना के प्रकाशन के तुरंत बाद उपयुक्त खानों की पहचान करना आरंभ करेगी।

ताप विद्युत संयंत्र/खानें, उपरोक्त अनुसार अधिदेशित उपयोग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त समिति द्वारा पहचान किए जाने तक ऐश के निपटान हेतु प्रतीक्षा नहीं करेंगी।

16. ऐश से निचले क्षेत्र को भरने का कार्य, अनुमोदित परियोजनाओं के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति से और सीपीसीबी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अनुमोदित स्थलों, अवस्थान, क्षेत्र और अनुमत मात्रा को अपनी वेबसाइट पर प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाएगा।
17. सीपीसीबी, संगत हितधारकों के साथ मिलकर, सीपीसीबी/पीसीसी द्वारा अनुमति प्रदान करने के लिए समयबद्ध ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रस्तुत करने के साथ-साथ इस अधिसूचना के तहत परिकल्पित सभी प्रकार के कार्यकलापों के लिए एक (01) वर्ष के भीतर दिशानिर्देश प्रस्तुत करेगा।
18. कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र से तीन सौ किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी भवन निर्माण परियोजनाएं (केंद्रीय, राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों सरकारी उपक्रमों, अन्य सरकारी अभिकरणों तथा सभी निजी अभिकरणों) राख की ईंटों, टाईल्स, धातुमल राख अथवा अन्य राख आधारित उत्पादों का उपयोग करेंगी बशर्ते कि वे वैकल्पिक उत्पादों की कीमत से अधिक कीमत पर उपलब्ध न हों।
19. राख आधारित उत्पादों के विनिर्माण और ऐसे उत्पादों में राख के उपयोग में भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय सड़क कांग्रेस और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित विनिर्देशों और दिशानिर्देशों की अनुपालना होगी।

ग. गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना:

20. तीन वर्ष के चक्र के प्रथम दो वर्षों में, यदि कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र (कैप्टिव और/अथवा सह-उत्पादक स्टेशनों सहित) ने कम-से-कम 80% राख (फ्लाइ-ऐश और बॉटम-ऐश) उपयोग नहीं की है तो ऐसे गैर-अनुपालन तापीय ऊर्जा संयंत्रों पर वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त राख पर 1000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि यह 3 वर्ष के चक्र के तीसरे वर्ष में 100% राख का उपयोग करने में असमर्थ है, तो वह अप्रयुक्त मात्रा पर 1000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माने देय होगा, जिस पर पहले जुर्माना नहीं लगाया गया है।

बशर्ते कि जुर्माने का पैरा क(4) में उल्लिखित विभिन्न उपयोगी श्रेणियों के अनुसार प्रथम अनुपालन चक्र के अंतिम वर्ष के अंत में अनुमान लगाया जाएगा और अधिरोपित किया जाएगा।

21. अधिकारियों द्वारा एकत्रित जुर्माना सीपीसीबी के निर्दिष्ट खाते में जमा किया जाएगा।

22. धरोहर (लैगोसी) राख के मामले में यदि कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र (कैप्टिव और/अथवा सह-उत्पादक स्टेशनों सहित) ने स्थापित क्षमता पर आधारित उत्पन्न राख का कम-से-कम 20% (प्रथम वर्ष के लिए), 35% (द्वितीय वर्ष के लिए), 50% (तीसरे से दसवें वर्ष तक) उपयोग के बराबर लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रयुक्त विरासत (लैगोसी) राख पर 1000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। यदि 10 वर्ष के अंत में विरासत राख का उपयोग नहीं किया जाता है तो 1000 रुपए प्रति टन की दर से शेष अप्रयुक्त मात्रा पर जुर्माना लगाया जाएगा जिस पर पहले जुर्माना नहीं लगाया गया।
23. अधिकृत खरीददारों/उपभोक्ता अभिकरणों तक राख भेजने की जिम्मेदारी परिवहकों/वाहन मालिक की जिम्मेदारी है। यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अनधिकृत उपयोगकर्ताओं अथवा गैर-अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ऐसी मात्रा गलत तरीके से वितरित करने पर 1500 रुपए प्रतिटन की दर से जुर्माना लगेगा इसके अतिरिक्त एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा गैर अनुपालन कर्ता परिवहकों पर अभियोजन लागू होगा।
24. इस अधिसूचना के पैरा ख में विहित पर्यावरण अनुकूल तरीके में राख के उपयोग की जिम्मेदारी खरीददार/उपभोगकर्ता एजेंसियों की है। ऐसा नहीं करने पर एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा 1500 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
25. यदि उपयोगकर्ता एजेंसियां पैरा ख के अधीन निर्धारित सीमा तक अथवा पैरा घ (27) के तहत दिए गए नोटिस के माध्यम से सूचित की गई सीमा तक, जो भी कम हो, राख का उपयोग नहीं करती है, वे अतिरिक्त राख की मात्रा का 1500 रुपए प्रति टन की दर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
26. तापीय ऊर्जा संयंत्रों तथा अन्य बकायादारों पर सीपीसीबी द्वारा लगाए जुर्माने का उपयोग अप्रयुक्त राख के सुरक्षित निपटान हेतु किया जाएगा। अनुप्रयुक्त मात्रा पर लगाए गए जुर्माने के बाद भी राख उपयोग की जिम्मेदारी तापीय ऊर्जा संयंत्रों की होगी। यदि बाद के चक्रों में जुर्माना लगाने के बार तापीय ऊर्जा संयंत्र किसी विशेष चक्र के राख के उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करता है तो अगले चक्र के दौरान अप्रयुक्त मात्रा पर एकत्र किए गए जुर्माने में 10% कटौती के बाद उक्त राशि तापीय ऊर्जा संयंत्र को वापस कर दी जाएगी। बाद के चक्रों में राख के उपयोग के मामले में एकत्र किए गए जुर्माने की 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और उसी क्रम में कटौती की जानी है।
- घ. राख/राख आधारित उत्पादों की आपूर्ति हेतु प्रक्रिया :**
27. तापीय ऊर्जा संयंत्रों के मालिक अथवा राख की ईटों/टाईल्स/धातुमल आधारित राख के विनिर्माता उन व्यक्तियों/अभिकरणों को लिखित सूचना देंगे जो बिक्री और/या परिवहन के लिए प्रस्तुत राख अथवा राख आधारित उत्पादों के उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं।
28. ऐसे व्यक्ति/उपयोगकर्ता एजेंसियां जिन्हें तापीय ऊर्जा संयंत्रों के मालिक द्वारा अथवा राख की ईटों/टाईल्स/धातुमल आधारित राख के उत्पादकों द्वारा नोटिस दिया गया है, यदि वे पहले ही राख/राख उत्पादों के उपयोग के उद्देश्य से अन्य एजेंसियों के साथ जुड़े हुए हैं, यदि वे किसी भी राख/राख उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकते हैं अथवा कम मात्रा का उपयोग कर सकते हैं, तदनुसार तापीय ऊर्जा संयंत्र को सूचित करेंगे।
- ड. प्रवर्तन, निगरानी, लेखा परीक्षा और संसूचना :**
29. प्रावधानों के अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी), प्रवर्तन और निगरानी प्राधिकरण होंगे। सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी तिमाही आधार पर ऐश के उपयोग की निगरानी करेंगे। सीपीसीबी इस उद्देश्य के लिए अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से छः माह के भीतर एक पोर्टल विकसित करेगा। संबंधित जिला अधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने और निगरानी करने के लिए समवर्ती न्याय अधिकार होगा।

30. टीपीपी ऐश उत्सर्जन और उपयोग से संबंधित मासिक सूचना वेब पोर्टल पर अगले महीने की 5 तारीख तक अपलोड करेगा। कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप ऊर्जा संयंत्रों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुपालन संबंधी सूचना उपलब्ध कराते हुए वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए) अप्रैल माह के 30वें दिन तक प्रस्तुत की जाएगी। सीपीसीबी और सीईए द्वारा सभी टीपीपी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों का समेकन किया जाएगा और उसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 31 मई तक प्रस्तुत किया जाएगा। सभी अन्य उपयोगकर्ता एजेंसियों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय मंजूरी अथवा एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा जारी संचालन की सहमति (सीटीओ), जो भी लागू हो, की अनुपालना रिपोर्ट में इस अधिसूचना में अधिदेशित अनुसार ऐश के उपभोग/उपयोग/निस्तारण तथा ऐश आधारित उत्पादों के उपयोग संबंधी सूचना प्रस्तुत करेंगे।

सीपीसीबी/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पीसीसी अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु तापीय ऊर्जा संयंत्रों के अलावा अन्य सभी एजेंसियों की ऐश उपयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।

31. इस अधिसूचना के प्रावधानों की निगरानी और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए सीपीसीबी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारी उद्यम विभाग से होंगे। यह समिति संगत हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है। यह समिति इस अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी और दक्ष कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें कर सकती है। यह समिति छः माह में कम से कम एक बार एक बैठक करेगी और वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्टों की समीक्षा करेगी।
32. टीपीपी और ऐश प्रयोक्ताओं/ऐश आधारित उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच के विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह के भीतर एसपीसीबी/पीसीसी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेंगी जिसमें विद्युत विभाग के प्रतिनिधि और एक प्रतिनिधि उस विभाग का होगा, जो विवाद वाली संबंधित अभिकरण का कार्यदेख रहे हैं।
33. सीपीसीबी द्वारा प्राधिकृत लेखा परीक्षकों द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों और प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा किए गए ऐश निपटान की अनुपालन लेखा परीक्षा संचालित की जाएगी और प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को प्रस्तुत की जाएगी। सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अनुपालन न करने वाले टीपीपी के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।

[फा. सं. एचएसएम-9/1/2019-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

अनुबंध-क

राख अनुपालन रिपोर्ट (1 अप्रैल-31 मार्च की अवधि के लिए) 31 मई को या उससे पहले प्रस्तुत की जाए।

क्र. सं.	विवरण	
1.	कंपनी का नाम और पावर प्लांट का नाम	
2.	पावर प्लांट की क्षमता (एमडब्ल्यू)	
3.	प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ)	
4.	कोयले की खपत की मात्रा (एमटीपीए)	
5.	राख उत्पादन की मात्रा (एमटीपीए)	
6	1 अप्रैल से पहले लीगेसी राख की मात्रा (एमटीपीए)	
7.	ऐश पॉड का विवरण: (कृपया सभी विवरण स्पष्ट करें, यदि ऐश पॉड की संख्या अधिक है।) क) क्षेत्रफल (हेक्टेयर): ख) आयतन (मि.घन) ग) नियामक (चौड़ाई और लंबाई): (कृपया कम से कम 4 नियामकों का स्पष्ट विवरण दें)	
6	ऐश पॉड की वर्तमान स्थिति: क) आयतन उपलब्धता (मि.घन) ख) संभावित जीवन (वर्ष): ग) भूमि उद्धार का विवरण:	
7	प्रयुक्त फ्लाइ-ऐश की मात्रा (एमटीपीए): अप्रैल-मार्च के दौरान प्रयुक्त फ्लाइ-ऐश: अप्रैल-मार्च के दौरान प्रयुक्त लीगेसी फ्लाइ-ऐश	
8.	अप्रयुक्त फ्लाइ-ऐश की मात्रा (एमटीपीए): अप्रैल-मार्च के दौरान प्रयुक्त फ्लाइ-ऐश: अप्रैल-मार्च के दौरान प्रयुक्त लीगेसी फ्लाइ-ऐश कुल अप्रयुक्त शेष	
9.	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर ईमेल और संपर्क	

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2021

G.S.R. 285(E).—Whereas by Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide S.O.763 (E), dated the 14th September, 1999, as amended from time to time, the Central Government, issued directions for restricting the excavation of top soil for manufacturing of bricks and promoting the utilisation of fly ash in the manufacturing of building materials and in construction activity within a specified radius of three hundred kilometres from the coal or lignite based thermal power plants;

And whereas, to implement these Notifications more effectively based on the polluter pays principle (PPP) thereby ensuring 100 % utilisation of fly ash by the coal or lignite based thermal power plants and for the sustainability of the fly ash management system, the Central Government reviewed the existing Notifications; and whereas penalties/fines need to be introduced based on the polluter pays principle;

And whereas, there is a need to conserve top soil by promoting manufacture and mandating use of ash based products and building materials in the construction sector;

And whereas, there is a need to conserve top soil and natural resources by promoting utilisation of ash in road laying, road and flyover embankments, shoreline protection measures, low lying areas of approved projects, backfilling of mines, as an alternative for filling of earthen materials.

And whereas, it is necessary to protect the environment and prevent the dumping and disposal of fly ash discharged from coal or lignite based thermal power plants on land;

And whereas, in the Notification the phrase 'ash', has been used, it includes both fly ash as well as bottom ash generated from Coal or Lignite based Thermal Power Plants;

And whereas, the Central Government intends to bring out a comprehensive framework for ash utilisation including system of fines/penalties based on polluter pays principle;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, and in supersession of the Notification S.O.763 (E), dated the 14th September, 1999 and the subsequent amendments, the Central Government has now proposed a Notification on ash utilisation for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft Notification will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty (60) days from the date of publication of the draft in the official Gazette;

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft Notification within the period specified above, will be taken into consideration by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary, HSM Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110003, and may be sent to e-mail id: moefcc.coalash@gov.in.

Draft Notification**A. Responsibilities of Thermal Power Plants (TPPs) to dispose fly ash and bottom ash:**

1. Every coal or lignite based thermal power plant (including captive and / or co-generating stations) shall be primarily responsible to ensure 100% utilisation of ash (fly ash, and bottom ash) generated by it in an eco-friendly manner as given in para below.
2. The ash generated from coal or lignite based Thermal Power Plants (TPP) shall be utilised only for the following eco-friendly purposes:
 - i. Manufacturing of brick /blocks/tiles;
 - ii. Cement manufacturing, ready mix concrete;
 - iii. Construction of road and fly over embankment, Ash and Geo-polymer based construction material;
 - iv. Construction of dam;
 - v. Filling up of low lying area;
 - vi. Filling of mine voids;
 - vii. Manufacturing of sintered/ cold bonded ash aggregate;

- viii. Agriculture in a controlled manner based on soil testing;
 - ix. Construction of shoreline protection structures in coastal districts;
 - x. Export of ash to other countries;
 - xi. Any other eco-friendly purpose as notified from time to time.
3. A committee shall be constituted under the chairmanship of Chairman, Central Pollution Control Board (CPCB) and having representatives from Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Ministry of Power, Ministry of Mines, Ministry of Coal, Ministry of Road Transport and Highways, Dept. of Agricultural Research & Education, Institute of Road Congress, National Council for Cement and Building Materials, to examine and review and recommend the eco-friendly ways of utilisation of ash and make inclusion/ exclusion/modification in the list of such ways as mentioned in Para A(2) based on technological developments and requests received from stakeholders. The committee may invite SPCB/PCC, operators of Thermal Power Plants & mines and other stakeholders as and when required for this purpose. Based on the recommendations of the Committee, MoEF&CC may publish such eco-friendly purpose.
 4. Every coal/lignite based thermal power plant shall be responsible to utilise 100% ash (fly ash and bottom ash) generated during that year. However, in no case shall utilisation fall below 80 % in any year. Also, it should achieve average ash utilisation of 100% in a 3 year cycle.

Provided the three year cycle applicable for the first time is extendable by one year for the Thermal Power Plants where ash utilisation is in the range of 60-80%, and two years where ash utilisation is below 60%. For the calculation of percentage of ash utilisation, the percentage quantity of utilisation in the year 2021-22 shall be taken into account. The same has been detailed in the table below:

Utilisation percentages of Thermal Power Plants	First compliance Cycle to meet 100% utilisation	Second compliance cycle onwards, to meet 100% utilisation
>80%	3 years	3 years
60-80%	4 years	3 years
<60%	5 years	3 years

Provided the minimum utilisation percentage of 80% is not applicable to the first year and first two years of the first compliance cycle for the TPPs under the utilisation category of 60-80% and <60%, respectively.

Provided 20% of ash generated in the final year of compliance cycle may be carried forward to the next cycle which shall be utilised in the next 3 year cycle along with the ash generated during that cycle.

5. Unutilized accumulated ash i.e. legacy ash, which is stored before the publication of this Notification, shall be utilized progressively by the TPPs in such a manner that the utilization of legacy ash shall be completed fully within 10 years from the date of publication of this Notification. This would be over and above the utilisation targets prescribed for ash generation through current operations of that particular year.

Provided the minimum quantity of legacy ash in percentages as mentioned below shall be utilised during the corresponding year. The minimum quantity of legacy ash is to be calculated based on the annual ash generation as per installed capacity of TPP.

Year from date of publication	1 st	2 nd	3 rd -10 th
Utilisation of legacy ash (in percentage of Annual ash)	At least 20%	At least 35%	At least 50%

Provided the legacy ash utilisation is not required where ash pond/dyke has stabilised and the reclamation has taken place with greenbelt/plantation. Concerned State Pollution Control Board shall certify in this regard. Stabilisation and reclamation of an ash pond/dyke including certification by CPCB/SPCB shall be carried out within a year from the date of publication of this Notification. The ash remaining in all other ash ponds/dykes shall be utilised in progressive manner as per the above mentioned timelines.

The obligations under Para A(4) and A(5) above for achieving the ash utilisation targets shall be applicable from 1st April, 2022.

6. Any new Thermal Power Plant may be permitted an emergency/temporary ash pond with an area of 0.1 hectare per MW. Technical specifications of ash ponds/dykes will be as per the guidelines of CPCB made in consultation with Central Electricity Authority (CEA). These guidelines shall also prescribe a procedure for

annual certification of the ash pond/dyke on its safety, environmental pollution, available volume, mode of disposal, water consumption/conservation in disposal, ash water recycling and greenbelt, etc., and shall be put in place within 3 months from the date of publication of the notification.

7. Every coal or lignite based thermal power plant shall ensure that loading, unloading, transport, storage and disposal of ash is done in an environmentally sound manner and that all precautions to prevent air and water pollution are taken. Status in this regard shall be reported to the concerned State Pollution Control Board (SPCB)/Pollution Control Committee (PCC) in Form A.
8. Every coal or lignite based thermal power plant shall install dedicated dry fly ash silos for storage of at least 16 hours of ash based on installed capacity, having separate access roads so as to ease the delivery of ash. It shall be reported upon to the concerned SPCB/PCC in the Form A and shall be inspected by CPCB/SPCBs from time to time.
9. Every coal or lignite based thermal power plant (including captive and or co-generating stations) shall provide real time data of availability of ash with TPP, by providing link to CPCB's web portal/ mobile phone App for the benefit of actual user(s).
10. Statutory obligation of 100% utilisation of ash shall be treated as a change in law, wherever applicable.

B. For the purpose of utilisation of ash, the subsequent paras shall apply:

11. All agencies (Government, Semi Government and Private) engaged in construction activities such as road laying, road and flyover embankments, shoreline protection structures in coastal districts and dams within 300 km from the lignite/coal based TPPs shall mandatorily utilise ash in these activities, provided it is delivered at the project site free of cost and transportation cost is borne by such coal/lignite based thermal power plants. However, TPP may charge for ash cost and transportation as per mutually agreed terms, in case TPP is able to dispose the ash through other means and those agencies makes a request for it. It is also clarified that provision of ash free of cost and free transportation would only be applicable, if TPP serves a notice on the construction agency for the same.
12. The utilisation of ash in the said activities shall be carried out in accordance with specifications and guidelines laid down by the Bureau of Indian Standards, Indian Road Congress, Central Building Research Institute, Roorkee, Central Road Research Institute, Delhi, Central Public Works Department, State Public Works Departments and other Central and State Government Agencies.
13. It shall be obligatory on all mines located within 300 kilometres radius of TPP, to undertake backfilling of ash in mine voids/mixing of ash with external Overburden dumps, under Extended Producer Responsibility (EPR). All mine owners/operators (Government, Public and Private Sector) within 300 (three hundred) kilometres (by road) from coal or lignite based thermal power plants, shall undertake measures to mix at least 25% of ash on weight to weight basis of the materials used for external dump of overburden, backfilling or stowing of mine (running or abandoned as case may be) as per guidelines of the Director General of Mines Safety (DGMS), provided that such thermal power stations shall facilitate the availability of required quantity of ash by delivering ash free of cost and bearing the cost of transportation or cost/transportation arrangement decided on mutually agreed terms.

It is also clarified that provision of ash free of cost and free transportation would only be applicable, if TPPs serve a notice on the mine owner for the same. It is also made clear that mandate of using 25% of ash for mixing with overburden dump and filling up of mine voids would not be applicable unless a notice is served on the mine owner by TPP.

Mixing of ash with overburden in mine voids and dumps shall be applicable for the overburden generated from the date of publication of this notification.

The utilisation of ash in the said activities shall be carried out in accordance with guidelines laid down by the Central Pollution Control Board, Director General of Mines Safety and Indian Bureau of Mines.

14. All mine owners shall get mine closure plans (progressive and final) amended to accommodate ash in the mine voids. Concerned authority shall approve mine plans for disposal of ash in mine voids and mixing of ash with overburden dumps. The MoEF&CC issued guidelines on 28th August, 2019 regarding exemption of requirement of amendment in Environmental Clearance of Thermal Power Plants and Coal mines along with the guidelines to be followed for such disposal. The Ministry in consultation with CPCB, DGMS & IBM may issue further guidelines time to time to facilitate ash disposal in mine voids and mixing with overburden dumps. It shall be the responsibility of mine owners to get the necessary amendments/modifications in the permissions issued by various regulatory authorities within one year from the date of identification of such mines.

15. There shall be a committee headed by Chairperson, CPCB with representatives from MoEF&CC, Ministry of Power, Ministry of Mines, Ministry of Coal, Director General of Mine Safety and Indian Bureau of Mines for identification of mines for backfilling of mine voids with ash/ mixing of ash with overburden dump including examination of safety, feasibility (not economic feasibility) and aspects of environmental contamination. This committee shall get updated quarterly reports prepared regarding identified mines (both underground and opencast) for the stakeholder Ministries/Departments. The committee shall start identifying the suitable mines immediately after the publication of this notification.

Thermal Power Plants/ Mines shall not wait for disposal of ash till the identification is done by the above mentioned committee, to meet the utilisation targets mandated as above.

16. Filling of low lying areas with ash shall be carried out with prior permission of State Pollution Control Board for approved projects, and in accordance with guidelines laid down by CPCB. State Pollution Control Board/PCC shall publish approved sites, location, area and permitted quantity annually on its website.
17. CPCB after engaging relevant stakeholders, shall put in place the guidelines within 01 year for all types of activities envisaged under this notification including putting in place time bound online application process for the grant permission by SPCBs/PCCs.
18. All building construction projects (Central, State & Local authorities, Govt. undertakings, other Govt. agencies and all private agencies) located within a radius of three hundred kilometres from a coal or lignite based thermal power plant shall use ash bricks, tiles, sintered ash aggregate or other ash based products, provided these are made available at prices not higher than the price of alternative products.
19. Manufacturing of ash based products and use of ash in such products shall be in accordance with specifications and guidelines laid down by the Bureau of Indian Standards, Indian Road Congress, and Central Pollution Control Board.

C. Fines for non-compliance:

20. In the first two years of a three year cycle, if the coal/ lignite based thermal power plant (including captive and/or co-generating stations) has not achieved at least 80 % ash (fly ash and bottom ash) utilisation, then such non-compliant TPPs shall be imposed with a fine of Rs. 1000 per ton on unutilised ash during the end of financial year based on the annual reports submitted. Further, if it is unable to utilise 100% of ash in the third year of the 3 year cycle, it would be liable to pay a fine of Rs. 1000 per ton on the unutilised quantity on which fine has not been imposed earlier.

Provided the fine shall be estimated and imposed at the end of last year of the first compliance cycle as per the various utilisation categories at mentioned in Para A(4).

21. Fine collected by the authorities shall be deposited in the designated account of CPCB.
22. In case of legacy ash, if the coal/ lignite based thermal power plant (including captive and/or co-generating stations) has not achieved utilisation equivalent to at least 20% (for the first year), 35% (for the second year), 50% (for third to tenth year) of ash generated based on installed capacity, a fine of Rs. 1000 per ton of unutilised legacy ash during that financial year will be imposed. If the utilization of legacy ash is not completed at the end of 10 years, a fine of Rs.1000 per ton will be imposed on the remaining unutilised quantity which has not been fined earlier.
23. It is the responsibility of the transporters/vehicle owner to deliver ash to authorised purchaser/user agency. If it is not complied, then a fine of Rs. 1500 per ton on such quantity as mis-delivered to unauthorised users or non- delivered to authorised users will be imposed besides prosecution of such non-compliant transporters by SPCB/PCC.
24. It is the responsibility of the purchasers/user agencies to utilise ash in an eco-friendly manner as prescribed at para B of this Notification. If it is not complied, then a fine of Rs. 1500 / per ton shall be imposed by SPCB/PCC.
25. If the user agencies do not utilise ash to the extent obligated under para B or the extent to which they have been intimated through Notice(s) served under Para D(27) whichever is lower, they would be liable to pay Rs. 1500 per ton of ash for the quantity they fall short off.
26. The fine collected by CPCB from the TPPs and other defaulters shall be used towards the safe disposal of the unutilised ash. The liability of ash utilisation shall be with TPPs even after imposition of fines on unutilised quantities. In case TPP achieves the ash utilisation of any particular cycle after imposition of fine in subsequent cycles, the said amount shall be returned to TPP after deducting 10% of the fine collected on the unutilised quantity during the next cycle. Deduction of 20%, 30%, and so on, of the fine collected is to be made in case of utilisation of ash in subsequent cycles.

D. Procedure for supply of ash/ ash based products:

27. The owner of TPPs or manufacturers of ash bricks/tiles/ sintered ash aggregate shall serve written Notice to persons/agencies who are liable to utilise ash or ash based products, offering for sale, and/ or transport.
28. Persons/ user agencies who have been served Notices by owner of TPPs or manufacturers of ash bricks/tiles/ sintered ash aggregate, if they have already tied up with other agencies for the purpose of utilisation of ash / ash products, shall inform the thermal power plant accordingly, if they cannot use any ash / ash products or use reduced quantity.

E. Enforcement, Monitoring, Audit and Reporting:

29. The Central Pollution Control Board (CPCB) and the concerned State Pollution Control Board (SPCB)/ Pollution Control Committee (PCC) shall be the enforcing and monitoring authority for ensuring compliance of the provisions. CPCB/SPCB/PCC shall monitor the utilisation of ash on quarterly basis. CPCB shall develop a portal for the purpose within six months of date of publication of the notification. The concerned District Magistrate shall have concurrent jurisdiction for enforcement and monitoring of the provisions of this Notification.
30. TPPs shall upload monthly information regarding ash generation and utilisation by 5th of the next month on the web portal. Annual implementation report (for the period 1st April to 31st March) providing information about the compliance of provisions in this notification shall be submitted by the 30th day of April, every year to the Central Pollution Control Board, concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee (PCC), Central Electricity Authority (CEA), and concerned Integrated Regional Office of MoEF&CC by the coal or lignite based thermal power plants. CPCB and CEA shall compile the annual reports submitted by all the TPPs and submit to MoEF&CC by 31st May. All other user agencies shall submit consumption/utilisation/disposal of ash and use of ash based products as mandated in this Notification in the compliance report of Environmental Clearance (EC) issued by MoEF&CC/SEIAA or Consent to Operate (CTO) issued by SPCB/PCC, whichever is applicable.

CPCB/State Pollution Control Board/PCC shall publish annual report of ash utilisation of all other agencies except Thermal Power Plants to review the effective implementation of the provisions of the notification.
31. For the purpose of monitoring the implementation of the provisions of this notification, a committee shall be constituted under Chairperson, CPCB, with members from Ministry of Power, Ministry of Coal, Ministry of Mines, MoEF&CC, Ministry Road Transportation & Highways and Department of Heavy Industry. The committee may invite relevant stakeholders. The committee may make recommendations for effective and efficient implementation of the provisions of the notification. The committee shall meet at least once in six months and review annual implementation reports.
32. For the purpose of resolving disputes between TPPs and users of ash/ manufacturer of ash based products, the State Governments or Union Territory Governments shall constitute a Committee within three months from the date of publication of this notification under the Chairman, SPCB/PCC with representatives from Department of Power, and one representative from the Department which deals with the subject of concerned agency with which dispute is made.
33. Compliance audit for ash disposal by the Thermal Power Plants and the user agency shall be conducted by auditors, authorised by CPCB and audit report shall be submitted to CPCB and concerned SPCB/PCC by 30th November every year. CPCB and concerned SPCB/PCC shall initiate action against non-compliant TPPs within 15 days of receipt of audit report.

[F. No. HSM-9/1/2019-HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Annexure-A

Ash Compliance Report (for the period 1st April-31st March) to be submitted on or before 31st May.

Sl.No.	Details	
1.	Company Name and Power Plant Address:	
2.	Power Plant Capacity (MW):	
3.	Plant Load Factor (PLF):	
4.	Quantity of coal consumption (MTPA):	
5.	Quantity of ash generation (MTPA):	
6	Quantity of Legacy Ash before 1 st April (MTPA):	
7.	Ash pond details: (pls specify all, if number of ash ponds is more) a) area (hectares): b) volume (m ³) : c) co-ordinates (Lat & Long): (pls specify minimum 4 co-ordinates)	
6	Present Status of ash pond: a) Volume availability (m3), b) expected life (years): c) Details of Reclamation:	
7	Quantity of Flyash Utilised (MTPA): Flyash utilised during the April-March: Legacy Flyash utilised during April-March:	
8.	Quantity of flyash unutilised (MTPA): Flyash utilised during the April-March: Legacy Flyash utilised during April-March: Total balance unutilised:	
9.	Signature of Authorised Signatory E-mail & Contact:	



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012026-269573
CG-DL-E-24012026-269573

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2026/माघ 3, 1947

No. 341]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2026/MAGHA 3, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2026

का.आ. 369(अ).— भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम(5) के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा(1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ.5481(अ), में तारीख 31 दिसंबर, 2021 को प्रकाशित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना, 2021 के रूप में संदर्भित किया जाएगा);

और राख के उपयोग से संबन्धित अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न हितधारकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उप-धारा (2) के खंड (v) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना, 2021 में निम्नलिखित संशोधनों का मसौदा प्रकाशित करती है, जिसे केन्द्रीय सरकार आम जनता की जानकारी के लिए प्रस्तुत करती है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, और

एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त संशोधनों के प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

तय समय से पहले इन मसौदा संशोधनों के बारे में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली टिप्पणी या सुझाव पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त मसौदा संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर उसे सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली 110003 या ईमेल: sohsm-d-mef@gov.in पर ईमेल भेज सकता है।

राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना, 2021 में संशोधन का मसौदा

राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना, 2021 में,-

(1) पैरा 'क' में,-

(i) उप पैरा (3) में,-

- (क) "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)" शब्द और अक्षर के स्थान पर "केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण" शब्द रखा जाएगा;
- (ख) "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" शब्द और अक्षर के पश्चात्, "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उप-पैरा (4) में,

(क) तीसरे परंतुक में, -

- (i) "बशर्ते कि" शब्दों के पश्चात् "तक" शब्द शामिल किए जाएंगे,
- (ii) "अगले चक्र में भी ले जाया जाएगा" शब्दों के पश्चात् "(अर्थात् अनुपालन चक्र के दौरान उपयोग से छूट दी जा सकती है)" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) चौथे परंतुक में, -

- (i) "सारणी में विनिर्दिष्ट 60 प्रतिशत से कम ताप विद्युत संयंत्रों के लिए विनिर्दिष्ट अनुपालन चक्र के समान" शब्दों, संख्याओं और अंकों के स्थान पर "पाँच वर्षों का" शब्द रखा जाएगा।

(ग) टिप्पण में,-

- (i) "01 अप्रैल, 2022" शब्द, संख्या, अक्षर और अंक के पश्चात्, "अथवा ताप विद्युत संयंत्रों के चालू होने का वित्तीय वर्ष, जैसा लागू हो" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) उप पैरा (5) में, -

(क) पहले परंतुक में, "ताप विद्युत संयंत्र की संस्थापिक क्षमता के अनुसार" शब्दों के स्थान पर, "तत्कालीन वर्ष के दौरान ताप विद्युत संयंत्र द्वारा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) दूसरे परंतुक के स्थान पर,-

- (i) "इस संबंध में प्रमाणित करेगा" शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2025 तक इस संबंध में प्रमाणित कर दिया है" शब्द, अक्षर, संख्या तथा आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

- (ii) शब्द, अक्षर, संख्या, आंकड़े और कोष्ठक “ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा प्रमाणीकरण सहित राख तालाब या डाइक का स्थिरीकरण और भूमि-उद्धार का कार्य 01 अप्रैल, 2022 से तीन वर्ष के भीतर किया जाएगा।” का लोप किया जाएगा।
- (iv) उप पैरा (6) में , -
- (क) आरंभिक पैरा में , -
- (i) “केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श से बनाए गए और ये दिशानिर्देश” शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, “जून, 2023 में जारी किए गए, और इसके संशोधन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के परामर्श से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तैयार किए गए और जो” शब्द, अक्षर, आंकड़े और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे,
- (ii) “और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन महीने के भीतर लागू किया जाएगा” शब्दों का लोप किया जाएगा ।
- (ख) पहले परंतुक में , -
- (i) “बशर्ते कि दो क्रियाशील राख तालाब अथवा डाइक तक” शब्दों के पश्चात , “अनुमति है” शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे,
- (ii) “अधिकतम चार परिचालन राख तालाब अथवा डाइक” शब्दों के पश्चात , “अनुमति है” शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे,
- (iii) शब्द “हो सकता है” हटा दिए जाएंगे,
- (iv) “सूचित करेगा” शब्दों के स्थान पर “सूचित किया गया” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा,
- (v) “केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)” शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के पश्चात, “केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)” शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक शामिल किए जाएंगे।
- (ग) दूसरे परंतुक में , -
- (i) “केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)” शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के पश्चात , “केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)” शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक शामिल किए जाएंगे।
- (ii) शब्द, अक्षर, संख्या तथा आंकड़े “अथवा 31 मार्च, 2023 तक जो भी बाद में हो” हटा दिए जाएंगे।
- (v) उप पैरा (8) में , ‘सूखी फ्लाई ऐश के भण्डारण हेतु’ शब्दों के पश्चात, ‘साइलोस’ शब्द हटा दिए जाएंगे।
- (vi) उप पैरा (9) में , “केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेब पोर्टल” शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर “कोयला राख प्रबंधन पोर्टल (सीएएमपी)” शब्द, आंकड़े और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (2) पैरा ख में , -
- (i) उप पैरा (3) में , -

(क) आरंभिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(3) कोयला या लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्रों से (सड़क मार्ग से) 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी खानों(सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र) के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे महानिदेशक, खान सुरक्षा (डीजीएमएस) के दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के अंतर्गत बैकफिलिंग अथवा स्टोर्विंग (चल रही अथवा परित्यक्त, जैसी भी स्थिति हो) को भरें।”

(ख) परंतुक में , शब्द “और खानों के खाली स्थानों और डेरों में अधिकभार के साथ राख को मिश्रित करना, सृजित अधिभार के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा” का लोप किया जाएगा।

(ग) 'स्पष्टीकरण' में , -

(i) शब्द और संख्या “और अधिभार वाले ढेर के साथ मिश्रित करने के लिए खाली स्थान को भरने के लिए राख के 25 प्रतिशत हिस्से के उपयोग” का लोप किया जाएगा।

(ii) “को भरने के लिए” शब्दों के पश्चात “राख” शब्द को शामिल किया जाएगा।

(ii) उप-पैरा (4)(i)में,-

(क) शब्द “और अधिभार वाले ढेर के साथ राख को मिश्रित करने के लिए” का लोप किया जाएगा,

(ख) “28 अगस्त, 2019” शब्द, अक्षर, संख्या और आंकड़ा के पश्चात, शब्द “और उसमें किए जाने वाले संशोधन” अंतर्विष्ट किए जाएंगे।

(iii) उप पैरा 4(ii) में, -

(क) “मंत्रालय” शब्द स्थान पर “पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) शब्द “और अधिभार वाले ढेर के साथ मिश्रण करना ” का लोप किया जाएगा।

(iv) उप पैरा (5) (i) में, -

(क) “केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)” शब्दों , अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर “केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)” शब्द, अक्षर और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) “कोयला मंत्रालय” शब्दों और आंकड़े के पश्चात, “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)” शब्द, अक्षर, आंकड़े और कोष्ठक अंतर्विष्ट किए जाएंगे।

(ग) “अथवा अधिभार वाले ढेर के साथ मिश्रण करना” शब्दों का लोप किया जाएगा,

(घ) “एक समिति होगी जिसकी अध्यक्षता.... करेगी.” वाक्य के पश्चात , “समिति की बैठक छह माह में कम से कम एक बार होगी.” वाक्य प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) उप पैरा 5 (ii) के पश्चात निम्नलिखित उप-पैरा शामिल किया जाएगा, अर्थात्,-

“(iii) राख उपयोगकर्ताओं के अनुरोध पर, उप-पैरा (5) (i) के अंतर्गत गठित समिति ताप विद्युत संयंत्रों में राख की उपलब्धता की समीक्षा करेगी, उपयोगकर्ताओं की व्यवहार्यता और भौगोलिक निकटता का आकलन

करेगी तथा प्रासंगिक पर्यावरणीय मापदंडों पर विचार करेगी, ताकि निर्धारित पर्यावरण अनुकूल उद्देश्यों के लिए राख के आवंटन के संबंध में ताप विद्युत संयंत्रों को सिफारिशें दी जा सकें।”

(vi) उप-पैरा (7) में,-

(क) “केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)”, शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के बाद “केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श से” इन शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों को शामिल किया जाएगा।

(ख) शब्द “एक वर्ष के भीतर” हटा दिया जाएगा,

(ग) “अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया” शब्दों के बाद, “का” शब्द शामिल किया जाएगा।

(vii) उप-पैराग्राफ (9) में, “भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय सड़क कांग्रेस और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” शब्दों के लिए शब्दों और अंकों के स्थान पर “भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय सड़क कांग्रेस” शब्दों और अंकों को शामिल किया जाएगा।

(viii) “उप-पैराग्राफ 10 में, “अन्य प्रासंगिक विनियमन के लिए” शब्दों के बाद, “संवर्धन और अधिकतम” शब्द शामिल किया जाएगा।”

(3) अनुच्छेद 6 में,-

(i) उप-पैराग्राफ (1) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

(i) तीन वर्ष के चक्र के प्रथम दो वर्षों में, यदि कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र (कैप्टिव और/ या सह-उत्पादक स्टेशनों या दोनों सहित) ने कम-से-कम 80 प्रतिशत राख (फ्लाई-राख और बॉटम-राख) उपयोग नहीं की है तो ऐसे गैर-अनुपालन ताप विद्युत संयंत्रों पर प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्टों के बाद वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा पर किए गए पुनर्कालन के आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त राख पर 1000 रुपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा और यदि यह अनुपालन चक्र के अंत तक अनुपालन चक्र (ऐसी अप्रयुक्त राख मात्रा को छोड़कर अर्थात् वित्तीय वर्ष के अंतिम वर्ष के दौरान उत्पन्न राख के 20% तक, जिसे पैरा ए (4) के अनुसार उत्पन्न औसत 100 प्रतिशत राख का उपयोग करने में असमर्थ है अतिरिक्त उपयोग के लिए अगले अनुपालन चक्र में ले जाने की अनुमति है, यह अप्रयुक्त मात्रा पर, जिस पर पूर्व में पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति नहीं लगाई गई है, पर प्रति टन 1000 रुपये की पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा:

बशर्ते कि पर्यावरणीय प्रतिकर का अनुमान पैरा क के उप-पैरा (4) में उल्लिखित विभिन्न उपयोगी श्रेणियों के अनुसार प्रथम अनुपालन चक्र के अंतिम वर्ष के अंत में लगाया जाएगा और अधिरोपित किया जाएगा।

इसके बाद, प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों के बाद प्रस्तुत वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर किए गए पुनर्कालन के आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रतिकर का अनुमान लगाया जाएगा जिसके बाद प्रस्तुत वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

(ii) उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

“(2) ताप विद्युत संयंत्र और अन्य चूककर्ताओं से एकत्र किया गया पर्यावरण प्रतिकर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) के निर्दिष्ट खाते में जमा किया जाएगा, जो 75% राशि अपने पास रखेगा और कुल राशि का 25% केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हस्तांतरित करेगा।”

(iii) उप-पैराग्राफ (4) का हटाया जाएगा;

(iv) उप-पैराग्राफ (5) में, शब्द और अंको “1500 या” को “1000” अंको के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (v) उप-पैराग्राफ (6) में, "1500" अंको को "1000" अंको के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) उप-पैराग्राफ (7) (i) के लिए, "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा" शब्द हटाया जाएगा;
- (4) पैराग्राफ ड में,-
- (i) उप-पैराग्राफ (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-
- “(1) (i) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी), उपबंधों के अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन और निगरानी प्राधिकरण होंगे और तिमाही आधार पर राख के उपयोग की निगरानी करेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के साथ परामर्श से अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से छः माह के भीतर एक पोर्टल तैयार करेगा और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) पोर्टल पर सभी कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा पंजीकरण और राख डेटा अपलोड सुनिश्चित करेंगे। संबंधित जिला अधिकारी के पास इस अधिसूचना के उपबंधों को लागू करने और निगरानी करने के लिए समवर्ती क्षेत्राधिकार होगा।
- (iii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) तिमाही आधार पर राख के उपयोग के साथ-साथ ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करेगा, और इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (iv) (ii) उप-पैराग्राफ (2) (i) के लिए, -
- (क) "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण" शब्दों के लिए, "केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी)" शब्द, अक्षर और कोष्ठक को प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ख) "31 मई तक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत" शब्द और अक्षर के लिए, शब्दों के स्थान पर शब्द, अक्षर और संख्या को "इसे अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करते हैं और 30 जून तक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) उप-पैराग्राफ (2) (ii) के लिए, -
- (क) "अनुपालन रिपोर्ट में" शब्दों के स्थान पर "किसने प्राप्त किया है" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) जो भी लागू हो,' शब्दों के स्थान पर प्रत्येक वर्ष संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को, इस अधिसूचना के अंतर्गत संचालित ऑनलाइन पोर्टल पर शब्द प्रतिस्थापित ' किए जाएंगे।
- (ग) "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ..." से शुरू होने वाले वाक्य के लिए, "संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) ताप विद्युत संयंत्रों को छोड़कर अन्य सभी एजेंसियों के राख उपयोग की वार्षिक रिपोर्ट अलग से प्रकाशित करेगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को प्रस्तुत करने के साथ अपनी वेबसाइट पर अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) उप-पैरा (3) के लिए,-
- (क) "अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)" शब्दों के स्थान पर "अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

- (ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शब्दों के लिए, शब्द, अक्षर, अंको और कोष्ठक के लिए "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ग) "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) शब्दों के बाद, "और विद्युत मंत्रालय" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (व) उप पैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"(5) ताप विद्युत संयंत्रों और उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा राख निपटान के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और/या पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 के तहत प्रमाणित पर्यावरण लेखा परीक्षकों द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। लेखापरीक्षा रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एसओपी के अनुसार तैयार की जानी है और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को प्रस्तुत की जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर गैर-अनुपालन ताप विद्युत संयंत्रों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करेगी। वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर वार्षिक राख अनुपालन स्थिति रिपोर्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा संकलित की जाएगी और पैरा ड (3) में गठित समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी।

- (5) परिशिष्ट में, शब्द, अक्षर और अंक "31 मई" के लिए, शब्द, अक्षर और अंक "30 अप्रैल" प्रतिस्थापित की जाएगी। यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 09/01/2019-एचएसएमडी]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर, 2021 के का.आ. 5481 (अ), के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित की गई थी और 30 दिसंबर, 2022 के का.आ. 6169 (अ), को संशोधित की गई थी तथा दिनांक 1 जनवरी, 2024 दिनांक के का.आ. 05(अ) पिछली बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2026

S.O. 369(E).— Whereas, the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* S.O.5481(E), dated the 31st December, 2021 (herein after referred to as the Ash Utilisation Notification, 2021);

And whereas, requests have been received from various stakeholders regarding implementation of provisions of the ash utilisation notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby publishes the following draft amendments to the Ash Utilisation Notification, 2021, which the Central Government proposes to make, for information of the public likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft amendments will be taken into consideration by the Central Government after expiry of a period of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft amendments before the period specified will be taken into consideration by the Central Government.

Any person desirous of making any objection or suggestion with respect to the said draft amendments may forward the same, within the period of 60 days from the date of publication of this notification in the Gazette, to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi 110003 or electronically at email address: sohsmd-mef@gov.in

DRAFT AMENDMENTS TO ASH UTILIZATION NOTIFICATION, 2021

In the Ash Utilisation Notification, 2021,-

- (1) in paragraph A,-
 - (i) in sub-paragraph (3),-
 - (a) the words, letters and figures “Central Pollution Control Board (CPCB)” will be replaced with the words “Central Electricity Authority”;
 - (b) after the words and figure “Ministry of Road Transport and Highways,” the words and figure “Central Pollution Control Board,” will be inserted.
 - (ii) in sub-paragraph (4),
 - (a) in the third proviso, -
 - (i) after the words “Provided also that”, the words “up to” shall be inserted,
 - (ii) after the words “carried forward to the next cycle”, the words, letters, figures and brackets “(i.e. may be exempted from utilization during the compliance cycle)” shall be inserted.
 - (b) in the fourth proviso,-
 - (i) for the words, numbers and figures “similar to the compliance cycle specified for thermal power plants having utilisation per cent. less than 60 per cent. as specified in the table”, the words “of five years” shall be substituted.
 - (c) in the Note,-
 - (i) after the word, numbers, letters and figure “1st April, 2022”, the words and figure “or the financial year of commissioning of the thermal power plants, as applicable” shall be inserted.
 - (iii) in sub-paragraph (5),-
 - (a) in the first proviso, for the words “as per installed capacity of thermal power plant”, the words “by the thermal power plant during the corresponding year” shall be substituted.
 - (b) for the second proviso,-
 - (i) for the words “shall certify in this regard”, the words, letters, numbers and figure “has certified in this regard by 31st March,2025” shall be substituted,

- (ii) the words, letters, numbers, figures and brackets “Stabilisation and reclamation of an ash pond or dyke including certification by the State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) shall be carried out within three years from 1st April, 2022.” shall be deleted.
- (iv) in sub-paragraph (6),-
- (a) in the opening paragraph,-
- (i) for the words, letters and brackets “of Central Pollution Control Board (CPCB) made in consultation with the Central Electricity Authority (CEA) and these guidelines shall”, the words, letters, numbers, figures and brackets “issued in June, 2023, and its amendments thereon, prepared by the Central Electricity Authority (CEA) in consultation with Central Pollution Control Board (CPCB) and which shall” shall be substituted,
- (ii) the words “and shall be put in place within three months from the date of publication of this notification” shall be deleted.
- (b) in the first proviso,-
- (i) after the words “Provided that up to two operational ash ponds or dykes”, the words “are permitted” shall be inserted,
- (ii) after the words “up to four operational ash ponds or dykes”, the words “are permitted” shall be inserted,
- (iii) the words “may be” shall be deleted,
- (iv) for the words “shall inform”, the word “informed” shall be substituted,
- (v) after the words, letters and brackets “Central Pollution Control Board (CPCB)”, the words, letters, figure and brackets “, Central Electricity Authority (CEA)” shall be inserted.
- (c) in the second proviso,-
- (i) after the words, letters and brackets “Central Pollution Control Board (CPCB)”, the words, letters, figure and brackets “, Central Electricity Authority (CEA)” shall be inserted.
- (ii) the words, letters, numbers and figures “or by 31st March, 2023, whichever is later” shall be deleted.
- (v) in sub-paragraph (8), after the words ‘for storage of dry fly ash’, the word ‘silos’ shall be deleted.
- (vi) in sub-paragraph (9), for the words and figure “Central Pollution Control Board’s web portal”, the words, letters and figures “Coal Ash Management Portal (CAMP)” shall be substituted.
- (2) in paragraph B,-
- (i) in sub-paragraph (3),-
- (a) for the opening paragraph, the following shall be substituted, namely,-
- “(3) It shall be obligatory on all mines (Government, Public and Private Sector) located within 300 kilometers radius (by road) from coal or lignite thermal power plants to undertake backfilling of mine voids or stowing of mines (running or abandoned as the case may be), under Extended Producer Responsibility (EPR), as per the guidelines of the Director General of Mines Safety (DGMS):”
- (b) in the proviso, the words “and mixing of ash with overburden in mine voids and dumps shall be applicable for the overburden generated from the date of publication of this notification” shall be deleted.
- (c) in the ‘Explanation’,-
- (i) the words and numbers “using 25 per cent of ash for mixing with overburden dump and” shall be deleted,
- (ii) after the words “filling up of”, the word “ash” shall be inserted.

- (ii) in sub-paragraph (4) (i),-
- (a) the words “and mixing of ash with overburden dumps” shall be deleted,
 - (b) after the word, letters, numbers and figure “28th August, 2019”, the words “and amendments thereon” shall be inserted.
- (iii) in sub-paragraph 4 (ii), -
- (a) for the word “Ministry”, the words “Ministry of Environment, Forest and Climate Change” shall be substituted;
 - (b) the words “and mixing with overburden dumps” shall be deleted.
- (iv) in sub-paragraph (5) (i) ,-
- (a) for the words, letters and brackets “Central Pollution Control Board (CPCB)”, the words, letters and brackets ‘Central Electricity Authority (CEA)’ shall be substituted,
 - (b) after the words and figure “Ministry of Coal,”, the words, letters, figures and brackets “Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Ports, Shipping, and Waterways, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Central Pollution Control Board (CPCB),” shall be inserted,
 - (c) the words “or mixing of ash with overburden dump” shall be deleted,
 - (d) after the sentence “There shall be a committee headed by...”, the sentence “The committee shall meet at least once in six months.” shall be inserted.
- (v) after sub-paragraph 5(ii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely,-
- “(iii) Upon request from ash users, the Committee constituted under sub-paragraph (5)(i) shall review the availability of ash at thermal power plants, assess the feasibility and geographical proximity of users and consider relevant environmental parameters, to provide recommendations to thermal power plants regarding the allocation of ash for prescribed eco-friendly purposes.”
- (vi) in sub-paragraph (7),-
- (a) after the words, letters and brackets “Central Pollution Control Board (CPCB)”, the words, letters and brackets “in consultation with Central Electricity Authority (CEA)” shall be inserted,
 - (b) the words “within one year” shall be deleted,
 - (c) after the words “online application process for the grant”, the word “of” shall be inserted.
- (vii) in sub-paragraph (9), for the words and figures “Bureau of Indian Standards, Indian Road Congress, and Central Pollution Control Board”, the words and figures “Bureau of Indian Standards and Indian Road Congress” shall be substituted.
- (viii) in sub-paragraph 10, after the words “other relevant regulations for”, the words “promoting and maximizing” shall be inserted.
- (3) in paragraph C,-
- (i) for sub-paragraph (1), the following shall be substituted, namely,-

“(1) In the first two years of a three years cycle, if the coal or lignite based thermal power plant (including captive or co-generating stations or both) has not achieved at least 80 per cent ash (fly ash and bottom ash) utilisation, then such non-compliant thermal power plants shall be imposed with an environmental compensation of Rs. 1000 per ton on unutilised ash after the end of financial year of the compliance cycle based on the annual reports submitted, followed by reassessment based on the annual compliance audit report, and if it is unable to utilise average 100 per cent of ash generated during the compliance cycle by the end of compliance cycle (except for such unutilized ash quantity i.e. up to 20% of ash generated during the last year of the financial year, which is permitted to be carry forward to the next compliance cycle for additional utilization as per Para A(4)), it shall be liable to pay an environmental compensation of Rs. 1000 per ton on the unutilised quantity on which environmental compensation has not been imposed earlier:

Provided that the environmental compensation shall be estimated and imposed at the end of last year of the first compliance cycle as per the various utilisation categories as mentioned in sub-paragraph (4) of Para A. Thereafter, the environmental compensation shall be estimated and imposed at the end of the financial year based on the annual reports submitted, followed by reassessment based on the annual compliance audit report submitted.”

- (ii) for sub-paragraph (2), the following shall be substituted, namely,-
 “(2) Environmental compensation collected from thermal power plants and other defaulters shall be deposited in the designated account of concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC), which shall retain 75% amount with it and transfer 25% of the total amount to Central Pollution Control Board.”
- (iii) sub-paragraph (4) shall be omitted;
- (iv) in sub-paragraph (5), the word and number “1500 or” shall be substituted with the number “1000”;
- (v) in sub-paragraph (6), the word “1500” shall be substituted with the number “1000”;
- (vi) for sub-paragraph (7) (i), the words “by Central Pollution Control Board” shall be deleted;
- (4) In paragraph E,-
- (i) for sub-paragraph (1), the following shall be substituted, namely,-
 “(1) (i) The Central Pollution Control Board (CPCB) and the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) shall be the enforcing and monitoring authority for ensuring compliance of the provisions and shall monitor the utilisation of ash on quarterly basis. Central Pollution Control Board (CPCB) in consultation with Central Electricity Authority (CEA) shall develop a portal for the purpose within six months of date of publication of the notification and Central Electricity Authority (CEA) and the concerned State Pollution Control Board (SPCB) shall ensure the registration and ash data upload by all the coal or lignite based thermal power plants on the portal. The concerned District Magistrate shall have concurrent jurisdiction for enforcement and monitoring of the provisions of this notification.
 (ii) Central Electricity Authority (CEA) shall monitor the utilization of ash as well as the compliance of the provisions by the thermal power plants, on a quarterly basis, and shall furnish the reports in this regard.”
- (ii) for sub-paragraph (2)(i), -
- (a) for the words “Central Pollution Control Board and Central Electricity Authority”, the words, letters and brackets “Central Electricity Authority (CEA) and the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee (PCC)” shall be substituted,
- (b) for the words, letters and numbers “submit to Ministry of Environment, Forest and Climate Change by 31st May”, the words, letters and numbers “publish it on their websites and submit to Ministry of Environment, Forest and Climate Change by 30th June” shall be substituted.
- (iii) for sub-paragraph (2)(ii), -
- (a) for the words “in compliance report of”, the words “who have obtained” will be substituted;
- (b) for the words “whichever is applicable,” the words “annually to concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, on online portal functional under this notification” shall be substituted;
- (c) for the sentence starting with “Central Pollution Control Board (CPCB)”, the sentence “The concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) shall separately publish annual report of ash utilisation of all other agencies except thermal power plants to review the effective implementation of the provisions of the notification on its website along with submission to Central Electricity Authority (CEA) and Central Pollution Control Board (CPCB).” shall be substituted.
- (iv) for sub-paragraph (3),-
- (a) for the words, letters and figures “Chairperson, Central Pollution Control Board (CPCB)”, the words, letters and figures “Chairperson, Central Electricity Authority (CEA)” will be substituted;
- (b) for the words “Ministry Road Transportation and Highways”, the words, letters, figures and brackets “Ministry of Road Transport and Highways, Central Pollution Control Board (CPCB),” shall be substituted,
- (c) after the words, letters and figures “Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), the words “and Ministry of Power” shall be inserted.

(v) for sub-paragraph (5), the following shall be substituted, namely,-

“(5) The compliance audit for ash disposal by the thermal power plants and the user agency shall be conducted by auditors, authorised by Central Pollution Control Board (CPCB) and/or Certified Environment Auditors under the Environment Audit Rules, 2025. The audit report is to be prepared as per SOP issued by Central Pollution Control Board (CPCB) and audit report shall be submitted to Central Pollution Control Board (CPCB) and concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) by 30th August every year. Central Pollution Control Board and concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) shall initiate action against non-compliant thermal power plants within fifteen days of receipt of audit report. The annual ash compliance status report based on the annual compliance audit reports shall be compiled by the Central Electricity Authority (CEA) and reviewed by the Committee constituted in Para E(3).”

(5) In the Annexure, for the word, letters and numbers “31st May”, the word, letters and numbers “30th April” will be substituted.

This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 09/01/2019-HSMD]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.5481 (E), dated the 31st December, 2021, amended *vide* number S.O. 6169 (E) dated the 30th December, 2022 and last amended *vide* number S.O. 05(E) dated the 1st January, 2024.



ASSOCIATION OF FLY ASH PRODUCTS MANUFACTURERS (Regd.)

AN ALL INDIA ORGANISATION

Corporate Office : C/o Stylish Precast Private Limited
AB 48, Salt lake, Sector-1 2nd Floor, On Khaldhar Road, Kolkata - 700064

1. **B. GAJENDRAN**
President
Tamil Nadu
9003010970
president@afapm.org

2. **S. KHANDELIA**
Vice President
West Bengal
9830044470

3. **K V Subba Rao**
Vice President
Andhra Pradesh
9392941458

4. **D P Singh Chawla**
Vice President
Madhya Pradesh
73897 75555

5. **Ganesh Kumar Bagri**
Secretary General
West Bengal
9831151000
gs@afapm.org

6. **M. Suresh Babu**
Treasurer
Andhra Pradesh
9866383569

7. **P. Venkateswara Rao**
Secretary
Andhra Pradesh
83333887888

8. **S. Shashidar**
Secretary
Tamil Nadu
9842259966

9. **Ravindra Godra**
Secretary
Haryana
9416489939

10. **M. Santosh Tantia**
Joint Treasurer
West Bengal
9434034806

To,

The Secretary
MOEF & CC, Indira Paryavaran Bhawan,
JorBagh road, New Delhi - 110003
(Email: sohsm-d-mef@gov.in)

Sub.:- Suggestions/objections in respect to the said draft amendments S.O. 963 (E), dated 23/01/2026

R/sir,

Kindly find our suggestions/objections to be incorporated in final Gazette notification;

In Paragraph A -

A.3 please inserts new Para

Priority order of daily Issuance of ash from TPP shall be in the exact order, as mentioned in sub Para A.2 (i) to (xi)

Sub Paragraph (3) (6)

Should be inserted after the words and figure National council for cement and building materials the word and figure Association of fly ash product manufacturers should be inserted.

In Paragraph B -

Sub paragraph (8), the following shall be substituted, namely:-

" All building constructed projects (central, state and local authorities, Govt. undertakings, other govt. agencies and all private agencies) located within a radius of 300 kms from a coal or lignite based thermal power plant shall use ash bricks, Inter locking tiles, sintered ash aggregate or other ash based products"

That the CPWD, State PWD, Railway, MES, UDH department, Krishiupajmandi departments and all other departments who so



ASSOCIATION OF FLY ASH PRODUCTS MANUFACTURERS (Regd.)

AN ALL INDIA ORGANISATION

Corporate Office : C/o Stylish Precast Private Limited
AB 48, Salt lake, Sector-1 2nd Floor, On Khaldhar Road, Kolkata - 700064

1. B. GAJENDRAN

President
Tamil Nadu
9003010970
president@afapm.org

2. S. KHANDELIA

Vice President
West Bengal
9830044470

3. K V Subba Rao

Vice President
Andhra Pradesh
9392941458

4. D P Singh Chawla

Vice President
Madhya Pradesh
73897 75555

5. Ganesh Kumar Bagri

Secretary General
West Bengal
9831151000
gs@afapm.org

6. M. Suresh Babu

Treasurer
Andhra Pradesh
9866383569

7. P. Venkateswara Rao

Secretary
Andhra Pradesh
8333887888

8. S. Shashidar

Secretary
Tamil Nadu
9842259966

9. Ravindra Godra

Secretary
Haryana
9416489939

10. M. Santosh Tantia

Joint Treasurer
West Bengal
9434034806

ever prepare their own basic schedule of rates shall **in corporate** above items in their BSR's on or before 1st July 2026.

In Paragraph B -

Sub paragraph 10, should be substituted namely;

B - (10) All local authorities shall make provisions in their respective building byelaws and approval of projects, Maps etc. , for Mandatory use of ash and ash based products, such as bricks, blocks, interlocking tiles, sintered or cold bonded ash aggregates, fiber cement sheets, pipes, boards, panels in construction of buildings, roads, embankments or for any other related construction activities.

You are kindly requested to consider and incorporate the above suggestions in the fourth coming ash utilization notification, so that **mother land (fertile soil) could be saved** and use of ash based products in construction activity can be increased in more effective manner.

Kind consideration of above suggestions will be highly appreciated.

Regards

Vice Precedent

Devendera Pal Singh Chawla

Mr. Devendera Pal Singh Chawla

AFAPM (ALL INDIA ORGANISATION)

Green India Clean India